खण्ड-208, अंक-1
सोमवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1881
(21 दिसम्बर, 1959 ई0)

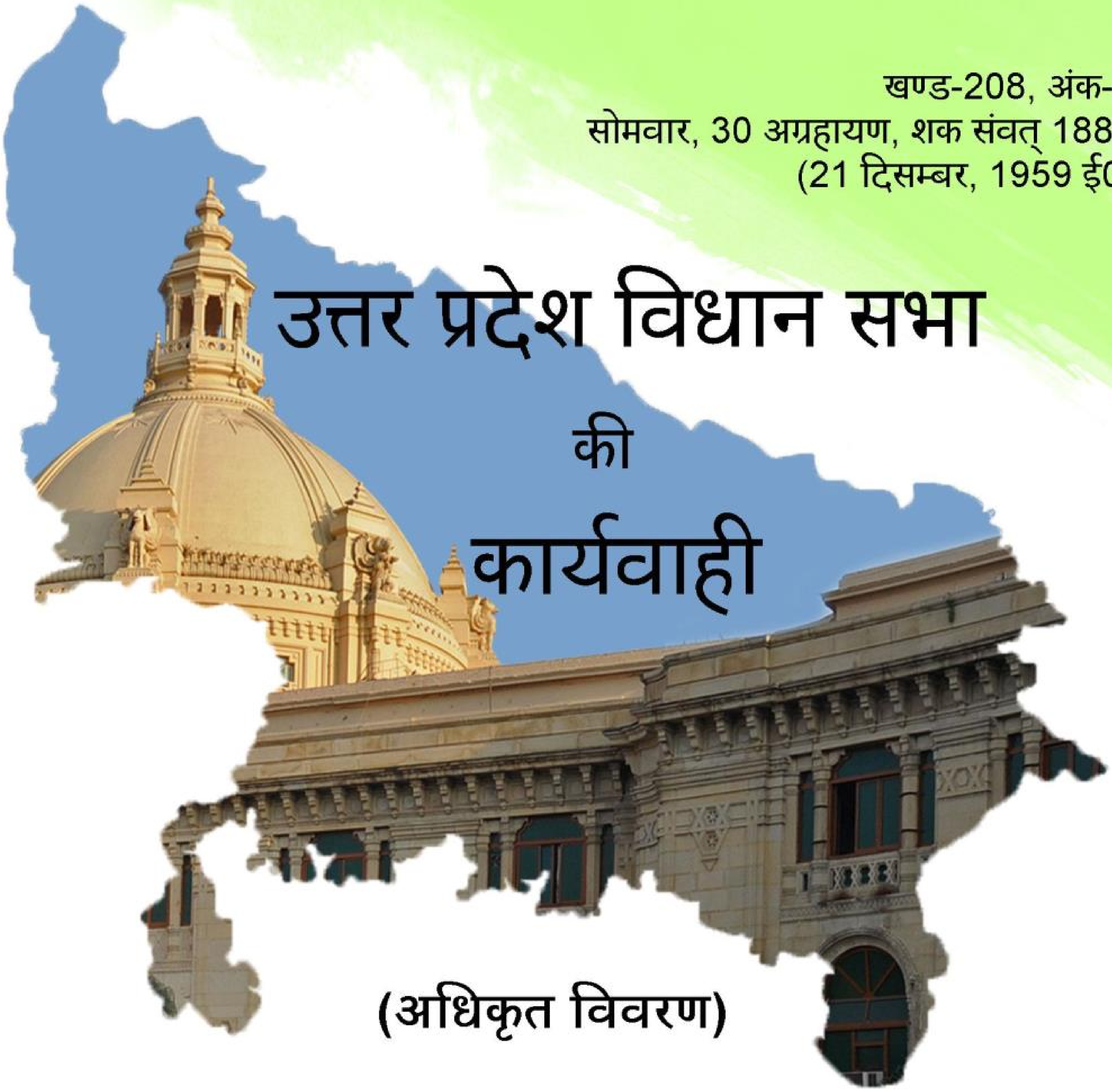

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५९ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३२

अभयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह , श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री*
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री

---

*माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्ष के निवास स्थान पर २८ अक्तूबर, १९५९ को शपथ ग्रहण की ।

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री

हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
इकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री लालबहादुर सिंह ने शपथ ग्रहण की

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए स्टडी ग्रुप्स

१—श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिये तथा राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार कोई सर्वदलीय बैठक करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—अभी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राजनैतिक दलों से परामर्श करने का समय अभी नहीं आया है। समय आने पर यथोचित परामर्श किया जायगा।

२—श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिये सरकार ने Study Groups का निर्माण किया है ? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—तृतीय योजना बनाने के लिये १४ वर्किंग ग्रुप्स बनाये गये हैं। इन्हें अधिकार दिया गया है कि ये अपने अधीन किसी भी विषय पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिये आवश्यकतानुसार सब ग्रुप अथवा स्टडी ग्रुप बना लें। अधिकतर सब ग्रुप्स ही बनाये गये हैं। मुख्य स्टडी ग्रुप्स के नाम संलग्न सूची में दिये हैं। इन स्टडी ग्रुप्स ने अपनी रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप्स को प्रस्तुत की है और वर्किंग ग्रुप्स ने उन पर विचार करके उन्हें अपने तृतीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार होने के पहले ही एक सर्वदलीय कमेटी बना ली है जोकि उसकी रूपरेखा तैयार करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है उसी प्रकार राज्य सरकार भी तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिये फौरन कोई कमेटी बनायेगी और उसकी राय लेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---मुनासिब यही समझा गया कि सब ग्रुप्स और स्टडी ग्रुप्स जिनमें एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, वे अपने अपने यहां की रूप-रेखा तैयार कर लें और जब सब तैयार हो जायगा तो उसको यहां से प्लानिंग कमीशन के पास ले जाकर उनसे बात की जायगी और उसके बाद जब प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर वह मंजूर कर लेंगे तो फिर उसे जिलों में भेजा जायगा और जिलों में भेजने के साथ साथ यहां जो हमारे मुख्तलिफ दल हैं उन सबसे भी परामर्श करने की बात सोची जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अधिक से अधिक जन योजना बन सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी राजनैतिक पार्टियों के अलावा जो और संघटन हैं---जैसे मजदूर संघटन और किसान संघटन, उनके प्रतिनिधियों से भी राय लेने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां---वर्किंग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स में ऐसे लोगों को, जिनकी राय से फायदा उठाया जा सकता है जैसे कि एक्सपर्ट्स हैं, शामिल किया गया है और उनसे राय ली जा रही है ।

श्री गेंदासिंह (जिला बेतरिया)---प्लानिंग कमीशन को जाने के पहले क्या यह सम्भव नहीं है कि आर्थिक मामलों पर पूरी तरह से विचार करके ही वहां जाया जाय ?

श्री सुल्तान आलम खां---अभी प्लानिंग कमीशन से परामर्श प्रिलिमिनरी ही होगा । अगर वर्किंग ग्रुप्स की पूरी रिपोर्ट उसमें शामिल नहीं की गयी तो वर्किंग ग्रुप्स उस पर विचार करके कट करेंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज के अन्दर ही प्लान तैयार हो । जब प्लान की स्टेज आ जायगी तो सब उसूलों पर परामर्श और विचार किया जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनका सहयोग लेने के प्रश्न पर वह विचार करेगी, राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय दोनों ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस सदन में जितने भी हमारे राजनैतिक दल हैं उन सबसे परामर्श किये जाने की बात तय की गयी है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट फार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी जो बनायी गयी है उससे भी परामर्श लेने की बात है ? अगर हां, तो उसकी मीटिंग क्यों स्थगित की गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां---परामर्श लेने की तो सभी से बात होगी और यह कोशिश की जायगी कि परामर्श से जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ हम उठा सकें, उठावें । लेकिन जब तक उसकी रूपरेखा तैयार न हो जाय उस वक्त तक कोई परामर्श लेने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकेगा ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार करने के लिये जो ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटीज हैं उनका विकेन्द्रीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किस रूप में और किन-किन कमेटीज में ?

श्री सुल्तान आलम खां---हमारे प्लान की रूपरेखा ही अभी पूरी तैयार नहीं हुई है । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है । जब दिल्ली से परामर्श होकर यहां आवेगा और अन्तरिम जिला परिषद् को भेजा जायगा, उस समय यह सवाल पैदा होगा ।

कृषि औजारों का निर्माण

**३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नत प्रकार के कृषि औजारों के डिजाइन तैयार करने तथा निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—जी हां ।

कृषि विभाग के अन्तर्गत अन्वेषण स्टेशन, नौलगांव, तथा अन्वेषण विंग, तालकटोरा वर्कशाप, लखनऊ, में कृषि औजार के डिजाइन तैयार किये जाते हैं तथा मौजूदा उपकरणों (औजारों) को अधिक उपयोगी बनाने का अन्वेषण होता है । इस योजना के अन्तर्गत बहुत से औजारों के डिजाइन किये गये ताकि वे अधिक उपयोगी हो सकें ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन नये डिजाइन के औजारों को किसानों ने पसन्द किया है या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जरूर पसन्द किया है क्योंकि करीब ७ लाख १३ हजार रुपये के यन्त्र पिछले वर्ष में बिके हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या इन औजारों की कीमत मुकर्रर करने में यह भी ध्यान रखा गया है कि निर्धन किसान इन्हें खरीद सकें ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—कीमत का खयाल जरूर रखा जाता है, आगे भी रखा जायगा और रखा गया है । यह खयाल जरूर है कि ऐसे ही औजार बनाये जावें जिन्हें वे खरीद सकें । लेकिन कीमत उनका खर्चा देख कर ही रखी जायगी । घाटे पर चलाने का तरीका नहीं बरता जा सकता है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बड़े उद्योगों की स्थापना

**४—श्री प्रताप सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े उद्योगों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने रुपये का प्लान है ?

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—तृतीय पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

**५—श्री प्रताप सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से बड़े उद्योगों को सरकार खोलने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता ।

**६—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त उद्योगों के लिये कितना रुपया केन्द्र से और कितना प्रदेशीय सरकार की ओर से खर्च किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रतापसिंह—सरकार के विचाराधीन कौन-कौन से बड़े उद्योग खोलने की बात है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, कागज, फर्टीलाइजर, एन्टीबायोटिक्स, सर्जिकल औजार, रिफरेक्ट्री, इत्यादि हैं । चेष्टा यह है कि हमारे वन विभाग की सामग्री जो उपलब्ध है और खेती से जो रा-मटीरियल मिल रहे हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाय ।

श्री प्रतापसिंह—इस समय सीमावर्ती इलाकों की विशेष मांग को देखते हुए क्या सरकार कोई बड़ी इंडस्ट्री वहां के लोगों की आर्थिक दशा को ठीक करने के लिये खोलने का विचार कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस समय हमारे वर्किंग ग्रुप ने जो प्लान दिया है उसमें इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है कि पिछले इलाकों की, जिनमें सीमावर्ती भी हैं, बात भी सामने रखे। यह मैं अभी नहीं कह सकता कि कौन बड़े उद्योग वहां लगाये जावेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो मंत्री जी ने अभी बड़े-बड़े उद्योग बताये उनमें तीसरे प्लान में सरकार का कितने रुपये के आउटले का विचार है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो प्रपोजल हमारे वर्किंग ग्रुप्स ने भेजा है उसमें ४५१ करोड़ रुपये की बात है। लेकिन यह अभी कयासी दुनिया ही है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी उन बड़े-बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे कि जिनके लिये सहकारी संस्थाओं के जरिये पैसा जमा किया जा चुका है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सहकारिता के क्षेत्र में हमारा इरादा है कि जो मिलें प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में थीं उनको तो हम करेंगे ही लेकिन ६ मिलें तीसरी योजना में लगाने का हमारा इस समय इरादा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—बड़े उद्योगों की तालिका जो मंत्री जी ने दी है क्या उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बनारस और गोरखपुर डिवीजन्स के लिये हों?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वहां के लिये भी काफी सोचा जा रहा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि इस योजना में बनारस में एक कागज और लुगदी का कारखाना खोलने का विचार सरकार कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मामला अभी तय नहीं है कि क्या-क्या खुलेगा।

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

**७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों ने सन् १९५६ व १९५७ में पेन्शनों के लिये जितनी दरख्वास्तें दी हैं उनमें से कितनों को पेन्शन स्वीकार हुई हैं, कितनों की दरख्वास्तें अस्वीकार हुई हैं और कितनों की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में सूचना संकलन करने में जो समय व श्रम लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए लाभप्रद न होगा। यदि माननीय सदस्य महोदय किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में जानना चाहते हों तो मेरे कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

भोटिया और मारछा लोगों को सुविधायें देने के लिये प्रार्थना-पत्र

**८—श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सीमाओं में स्थित भोटिया और मारछा लोगों के पुनर्वास व सुरक्षा के सम्बन्ध में २४-११-५९ को सीमावर्ती विधायक संघ के मंत्री द्वारा कोई पत्र सरकार के पास भेजा गया था? यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं और उन पर सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। पत्र में मुख्यतया ये सुझाव हैं:—

(१) खेती के लिये जमीन तराई भावर में देना।
(२) नये मार्गों का निर्माण।
(३) रोजगार दिलाना।
(४) बच्चों की शिक्षा।
(५) पी० ए० सी० को शत प्रतिशत बार्डर एलाउन्स देना।

इन पर कार्यवाही पहिले से ही आरम्भ हो चुकी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस खत में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि वहां पर लोगों में पैनिक है और उनकी सुरक्षा के लिये वहां मिलिटरी भेजी जाय? माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों जो यह आश्वासन दिया था कि जरूरत के समय वहां मिलिटरी भेजी जायगी, इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्री प्रताप सिंह जैसे साथी के रहते हुए वहां पैनिक है, इसको तो मैं मानता नहीं क्योंकि हमारा देश कोई कागज का नहीं है कि किसी की धमकी से घबड़ा जाय, इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधा देने या उनकी रक्षा का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार की ओर से जितनी भी कार्यवाही उस सम्बन्ध में होनी चाहिये, वह हो रही है और प्रदेशीय सरकार का भी जो एश्योरेंस इस हाउस को और यहां की जनता को है, उसे पूरा करने में किसी तरह की कमी नहीं होने पावेगी।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमने स्वतः माननीय मुख्य मंत्री को कहा था कि उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में, जहां कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी शक्तियां मिल कर प्रचार कर रही हैं कि मुक्ति सेना यहां आयेगी और हमारा उद्धार करेगी और इस तरह से वहां की सीमा अवस्था बिगड़ रही है, उसको ठीक रखने के लिये ५० हजार स्पेशल पुलिस भर्ती की जाय और वहां रक्षा के लिये भेजी जाय?

श्री अध्यक्ष—आप इससे सम्बन्धित बातें ही पूछें।

श्री राजनारायण—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम इस बारे में सजग हैं, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष—उस सम्बन्ध में आप बाद में बात कर सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि लासा से पाला तक जो मोटर रोड चीन ने बनायी है उससे हमारा बार्डर केवल ३ मील पड़ता है और लेपुलेक से कालापानी तक का जो एक छोटा-सा टुकड़ा है वहां रोड बनाने का क्या कारण है जब कि ६५ मील के एरिया में कोई लिन्क नहीं है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्दर क्या-क्या काम होता है उन सब बातों की पूरी-पूरी चर्चा यहां करना शायद जनहित में नहीं होगा। सिर्फ इतना मैं फिर एश्योरेंस दे सकता हूं कि माननीय प्रताप सिंह जी ने जो पत्र की बात उठायी है, उस पर सरकार ने अधिक से अधिक विचार किया है और जहां तक सड़कों की बातें हैं उन सबकी बाबत में बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। सिर्फ इतना ही एश्योरेंस दे सकता हूं कि जितना भी हो सकता है उसे करने के लिये केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार सजग हैं और इसके लिये उनमें आपस में परामर्श भी हुआ है। लेकिन वहां के लोगों में कोई घबराहट है, मैं इसको नहीं मानता। मेरा खयाल है कि वहां के लोग बहादुर हैं, बहादुर कौम के वे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा देश की रक्षा की है और जो आज भी देश की रक्षा हर तरह से करने को तैयार हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—भोटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये नैपाल से नये व्यापारिक मार्ग या मोटर यूनियन वगैरा बनाने के लिये क्या काम किया गया और सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा कि मैंने निवेदन किया, काफी विचार माननीय प्रताप सिंह के विचारों पर हुआ और, जहां तक मैं समझता हूं, यथाशक्ति और यथाशीघ्र सब काम हो रहे हैं और तेजी से काम हो रहा है। अन्ततोगत्वा उसका क्या असर होगा, यह मैं नहीं जानता।

प्रान्तीय रक्षकदल को सैनिक प्रशिक्षण

**९—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि पिछले ९ साल से प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों और जोन वर्कर्स यानी क्षेत्रीय संगठन कर्त्ताओं को कोई सैनिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी नहीं।

**१०—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही सैनिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले ९ साल के अर्से में यह प्रशिक्षण केन्द्र कहां खुले और उनमें कितने प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्रान्तीय रक्षक दल की ट्रेनिंग और जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वह हर जिले में दी जाती है। इसके अलावा हमारे दल के वालंटियर्स में से बहुत से लोग टेरीटोरियल फोर्स के मेम्बर हैं, उनको वहां भी ट्रेनिंग मिलती है। जितनी ट्रेनिंग की उन्हें जरूरत है वह वे लोग पा चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग वक्तन फवक्तन होती रहती है।

आचार्य दीपंकर—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले इन पी० आर० डी० के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण तीन जिलों में सेन्टर खोलकर होता था लेकिन पिछले लम्बे अर्से से ऐसा नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जितनी ट्रेनिंग की जरूरत है वह उन को बराबर मिल चुकी है और मिलती है। पी० आर० डी० का कई किस्म का काम है। उनका एक काम तो यह है कि वे इन्टर्नल ला एन्ड आर्डर का काम करते हैं और अब उनका दल होम डिपार्टमेंट से प्लानिंग डिपार्टमेंट को मुन्तकिल हो गया है। उनके द्वारा रबी व खरीफ कैम्पेन्स और स्वायल कन्जर्वेशन का काम भी हो रहा है, उनके जिम्मे सिर्फ ला एन्ड आर्डर का ही काम नहीं है बल्कि वह प्लानिंग और विकास का काम भी करते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

अनाज जब्त करने के संबंध में जानकारी

*१—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री प्रभूदयाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पहली अप्रैल, १९५९, से आज तक grain hoarding के सिलसिले में पूरे प्रदेश के किन-किन जिलों में कहां-कहां छापे मारे गये हैं और इस प्रकार कितना अनाज सरकार ने जब्त किया है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—न कहीं छापे मारे गये और न अनाज ही जब्त किया गया।

*२—श्री सोहन लाल धुसिया तथा श्री प्रभुदयाल—इस अभियोग के सिलसिले में कितने लोग गिरफ्तार किये गये?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल धुसिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौनसी अलामात हैं जिनके कारण सरकार, ग्रेन होर्डिंग में छापा मारना मुनासिब समझती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जब कहीं बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा हो जाता है तब ऐसा किया जाता है और यह गवर्नमेंट नहीं करती है। बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की वह ताकत है और वही एसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट के मुताबिक कीमत नोटिफाई करते हैं।

श्री सोहन लाल धुसिया—मंत्री जी ने बताया कि जब "बहुत ज्यादा होर्डिंग" हो जाती है, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह यह बता दें कि 'बहुत ज्यादा अनाज' की परिभाषा क्या होगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जब कोई लाइसेंसिंग आर्डर के खिलाफ अनाज रखता है यानी ५० मन से ऊपर थोड़ा भी होता है तो गवर्नमेंट जब्त करती है लेकिन जब गल्ला बहुत ज्यादा होता है तब गवर्नमेंट आफ इंडिया नोटिफिकेशन करती है तब जब्त होता है। यह तो लाइसेंसिंग आर्डर के मुताबिक ३१,००० मन हमने जब्त किया। मगर जो प्योरली साफ तौर से होर्डिंग कहा जाता है वह दूसरी चीज होती है। इसलिये इन दोनों चीजों में बहुत अन्तर है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि होर्डिंग बड़े पैमाने पर हो रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसने स्वयं या केन्द्रीय सरकार से कार्यवाही कराने के लिये कुछ किया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस वक्त कहीं पर कोई होर्डिंग नहीं हो रही है बल्कि जो माल आता है वह इतना कम है कि जहां हजारों मन माल डेली आता था वहां मुश्किल से ५० मन आता है। इसलिये होर्डिंग की गुंजायश कहीं इस वक्त नहीं रही।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि, एसेंशियल सप्लाइज़ ऐक्ट के अतिरिक्त जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कार्य है, प्रान्तीय सरकार ने अपने अधिकारों के अन्तर्गत होर्डिंग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न जरा साफ कर दीजिये।

श्री मोती लाल अवस्थी—सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एसेंशियल सप्लाइज़ ऐक्ट के अन्तर्गत जो कार्य होते हैं उनके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार ने होर्डिंग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका कि इस साल तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। होर्डिंग इस साल कहीं नहीं था।

[२१ दिसम्बर, १९५९, के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खेतिहर मजदूरों को ऋण संबंधी सुविधायें देने का सुझाव

*१—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के देहातों में वस्तुओं को बन्धक रखकर किसानों एवं मजदूरों को ऋण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सहकारिता उप-मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—जी नहीं। अभी इस प्रदेश में किसानों को क्रय विक्रय समितियों से केवल अपनी फसल को गिर्वी रखकर अग्रिम ऋण प्राप्त करने की सुविधा है।

*२—**श्री माताप्रसाद**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूमिहीन एवं खेतिहर मजदूरों को ऋण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं, परन्तु भूमिहीन व खेतिहर मजदूर सहकारी समितियों के सदस्य बन कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि देहात में किसान एवं मजदूर अपनी वस्तुएं और सम्पत्ति महाजनों के यहां गिरवी रख कर दो पैसा प्रति रुपया प्रति माह से अधिक सूद पर ऋण लेते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ऐसी शिकायतें जरूर हैं।

श्री माता प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों के पास जरूरत से ज्यादा फसल नहीं होती है उनको ऋण देने के लिये क्या सुविधा दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बा प्रश्न है कि किस तरह से ऋण दिया जाता है। अब तक जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स, रेगूलेशंस हैं वे सब सामने हैं। अब तक ऋण देने की व्यवस्था यही है कि उन चीजों के लिये ऋण दिया जाय जो प्रोडक्टिव हैं अर्थात् जिनसे पैदावार होती है। अन प्रोडक्टिव कामों जैसे शादी विवाह आदि के लिये व्यवस्था नहीं है। नियमों में सब दिया हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह देखते हुये कि बहुत बार किसानों को अपनी आवश्यकताओं के कारण ऋण लेना पड़ता है और अपनी चीजों को महाजनों के हाथ गिरवी रख कर उन्हें बहुत परेशानी होती है और सूद ज्यादा देना पड़ता है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन्हें अपनी निजी चीजें गिरवी रख कर सस्ते सूद पर ऋण मिल सके ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी तक जो ऋण दिया जाता है ऐसे किसानों को बगैर उनकी चीजों को गिरवी रखे हुये वह क्रेडिट सोसाइटीज दे देती हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज उनकी फसल को गिरवी रख कर देती हैं। अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं सोच रहे हैं कि जेवर लेकर ऋण दिया जाय। उसमें बहुत दिक्कत होगी। उसको चलाना मुश्किल है। वह व्यवस्था हमारे दिमाग में नहीं है। लेकिन इच्छा यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की मारफत ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जाय जितनी कि उसको फसल के लिये जरूरत है, यह हमारा उद्देश्य है। लेकिन उसमें दिक्कत है कि जो हमारे पास साधन हैं वे कम हैं और जरूरत ज्यादा है। जो रुपया हमको अवेलेबिल है रिजर्व बैंक वगैरह से, वह उतना नहीं है जितनी कि जरूरत है। इसकी एक स्कीम है और उसकी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष श्री बैकुन्ठलाल मेहता हैं और रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज बोर्ड आफ रेवेन्यू के श्री सिद्दीक हसन, आई०सी०एस० उसके सदस्य हैं। जितनी जरूरत किसानों को है उनको कैसे पूरा किया जाय, यह वह कमेटी देखेगी। क्योंकि जितना कोआपरेटिव चैनल्स से हमारे पास रुपया आ सकता है वह सब की जरूरत पूरा करने के लिये काफी नहीं है। वैसे ये समस्यायें हमारे सामने हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के सम्मुख कोई इस प्रकार की योजना है कि जो भूमिहीन एवं खेतिहर मजदूर हैं उनके श्रम को लेकर उनको कर्ज दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सदस्य महोदय ने देखा ही होगा कि अब जो स्कीम है वह यह है कि गांव की जो क्रेडिट सोसायटी है उसमें हर एक परिवार का एक व्यक्ति शामिल हो। तो उसमें केवल वही नहीं होंगे जिनके पास जमीन है बल्कि बिना जमीन वाले भी होंगे। वे लोग हमारे दायरे के बाहर नहीं हैं।

डी० सी० एफ० आजमगढ़ की जांच रिपोर्ट

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डी० सी० एफ०, आजमगढ़ की आडिट की कोई स्पेशल रिपोर्ट इधर दो वर्ष के अन्दर हुई है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। इसमें उल्लिखित अधिकांश आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है और शेष का निराकरण भी शीघ्र ही हो जायेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलायेंगे कि आडिट की स्पेशल रिपोर्ट २ वर्ष के अन्दर कब-कब हुई है और कितनी बार हुई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—२८ फरवरी, १९५९ को आडिट रिपोर्ट हुई थी जो यहां कार्यालय में ३ मई, १९५९ को प्राप्त हुई और जिसको स्पेशल आडिट कहते हैं वह २५ मई, १९५९ को प्राप्त हुयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन आपत्तियों की पूर्ति कब कब हुई है?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत ब्योरे का सवाल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य-मुख्य आपत्तियां क्या थीं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कुछ भट्ठे की हैं, कोयले, आयरन, भूसे की, जो फंड के सम्बन्ध में मंगाया था, पेट्रोल डीजल आयल वगैरह की आपत्तियां हैं।

श्री चन्द्र जीत यादव—आडिट आपत्तियों में कुल कितने रुपये का गोलमाल बताया गया और उस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने किया क्या?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—३४ पेज की रपट है जिससे अभी अन्दाजा पूरे गोलमाल का नहीं लग सकता लेकिन वैसे बहुत-सा रुपया लोगों से वसूल कर लिया गया है, जिनके पास ओवरड्रूज थे उनसे ले लिया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—प्रमुख आपत्तियां कौन-कौन निराकरण करने के लिये बाकी रह गई हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—पूरी रिपोर्ट की कमप्लायंस नहीं हो पायी है, वैसे बहुत-सी हो चुकी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—डी०सी०एफ० आजमगढ़ के कौन कौन से अधिकारी थे जिनके खिलाफ ये आपत्तियां की गई थीं और उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैनेजर डी० सी० एफ० के खिलाफ शिकायत है। उनको वार्निंग दे दी गई है और रुपया भी वसूल किया गया और आगे सख्ती के साथ बकाया वसूल करने का सरकार का इरादा है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मंत्री जी बतायेंगे कि ३४ पेज की रिपोर्ट है तो क्या बहुत बड़ा गोलमाल है, उसकी बड़ी से बड़ी फिगर बता दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---बहुत बड़ा गोलमाल तो नहीं है । छोटी-मोटी शिकायतें हैं, जैसे रसीद में कुछ लिखा है और जमा कुछ हुआ है, वजन में कमी की शिकायत है, ऐसे ही २,२,४,४,२०, २० रु० की कमी है, किन्हीं के पास ओवरड्यूज हैं । बस इसी प्रकार की शिकायतें हैं ।

कृषि बीज भण्डार, तालबेहट के बकाया की वसूली

*४---**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९५९ से १५ जुलाई, १९५९ तक कृषि बीज भंडार, तालबेहट का बकाया कितना रुपया सरकार द्वारा वसूल किया गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---२,३३४ रु० २७ नये पैसे वसूल किये गये ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ९ फरवरी को दी गयी सूची में २२,९२८ रु० २९ नये पैसों में २०,४९५ रु० ८ नये पैसे आज तक वसूल न होने का क्या कारण है ? क्या टाइम बार्ड होने के पहिले यह रुपया वसूल हो जायगा ?

श्री काली चरण अग्रवाल---ये ड्यूज हम रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के जरिये रियलाइज करते हैं । कुर्की परवाना सब भेज दिया गया है और शीघ्रातिशीघ्र रियलाइज किया जा रहा है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या उक्त वसूली के लिये फरवरी, जुलाई और अगस्त, १९५९ में माननीय मंत्री जी तथा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---अधिकारियों का ध्यान बार-बार आकर्षित किया जा रहा है ।

कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत दी गयी सहायता पर आपत्ति

*५---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने पिछले दो सालों में Poultry Seheme के अन्दर कितने लोगों को कितनी सहायता तथा कर्जा दिया है ?

श्री काली चरण अग्रवाल---आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६ पर)

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार यह बतलायेगी कि इन दो सालों में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से १४ आदमियों को सहायता दी गयी ?

श्री काली चरण अग्रवाल---प्रार्थना-पत्रों की तादाद के लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में बस्ती जिले से कोई शिकायतें आई हैं कि यह जो ५ हजार की सहायता एक व्यक्ति को दी गयी है, वह उचित व्यक्ति को नहीं मिली है बल्कि किसी विधायक के भाई को मिली है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---माननीय अध्यक्ष, यह सदन तय कर दे कि विधायक और विधायकों के भाइयों को कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई सहायता न मिले तो मुझे मंजूर होगा कि विधायकों के भाइयों को कर्ज न मिले, बीज न मिले, पानी न मिले, खाद न मिले । वैसे, कोआपरेटिव सोसायटी के नियमों में यह नहीं है ।

श्री राजनारायण---मैं इस उत्तर पर आपत्ति उठा रहा हूं। "हां" या "न" में उत्तर दिया जाता।

श्री मोहनलाल गौतम---पहले आप उत्तर सुन लीजिये। विधायकों के भाइयों का इससे सम्बन्ध नहीं है। जो शिकायतें आती हैं वे ज्यादातर उन्हीं की होती हैं जिनको सहायता नहीं मिलती है।

श्री राजनारायण---मेरी आपत्ति यह है कि यह अध्यक्ष के ऊपर आक्षेप है। जब आपने प्रश्न एलाऊ कर दिया और आप पर आक्षेप किया जाय, आप उस पर खयाल न करें तो हम भी क्या खयाल न करें ?

श्री अध्यक्ष---यह जवाब है उनका।

श्री राजनारायण---जिस प्रश्न को आपने एलाऊ किया उस पर उनको सीधे सीधे आपत्ति थी।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष के अधिकार और उनके सम्मान पर वह आक्षेप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं फैसला देता हूं कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---मैंने यह प्रश्न किया था कि कोई शिकायत आई है या नहीं, इसका मुझे जवाब मिलना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने निवेदन किया, शिकायतें बहुत आती हैं, उनका हिसाब रखना मेरे लिये मुश्किल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री के पास इस अम्र की शिकायत आई है कि विधायक को गैर विधायकों के हुकूक की अवहेलना करके विशेष रूप से सहायता दी गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक मुझे याद है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

शाहगंज तहसील में 'बलिया बार्ली' की वसूली

*६---**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में सन् १९५७-५८ में जो बलिया बार्ली के नाम का जौ का बीज किसानों को बांटा गया था, जिसके विषय में खराब होने तथा फसल पैदा न होने की आम शिकायत थी, उसकी वसूली मय सवाई तथा सूद के इस वर्ष की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर जिले में गेहूं और चने की उपज

*७---**श्री गुरुप्रसाद सिंह** (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग सन् १९५७-५८ और ५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं और चना बोया गया और उनकी अलग-अलग उपज कितनी हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सुल्तानपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितने क्षेत्रफल में गेहूं और चना सन् १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में बोया गया, से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न तालिका में दिये गये हैं। उपज के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७ पर)

नोट---तारांकित प्रश्न ६ राजा यादवेंद्रदत्त दुबे ने पूछा।

श्री गुरुप्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब गेहूं और चना के क्षेत्रफल के अनुपात में सन् ५७-५८ और ५८-५९ में कोई अन्तर नहीं रहा तो उपज में क्यों अन्तर रहा है ?

श्री अध्यक्ष---उपज तो उन्होंने बतायी नहीं ।

श्री गुरुप्रसाद सिंह---आगे बताने के लिये कहा है ।

श्री अध्यक्ष---जब आंकड़े एकत्रित नहीं हुये तो वे अन्तर कैसे बतायेंगे ? आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री गुरुप्रसाद सिंह---उपज के आंकड़े कब तक उपलब्ध हो सकेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---बिना किसी विलम्ब के शीघ्रातिशीघ्र ।

गन्ना सोसाइटी, घुघली का गन्ना बिक्री कमीशन तथा शिक्षा व सड़क संबंधी कटौती का धन

*८---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की गन्ना सोसायटी, घुघली द्वारा गन्ना किसानों से पिछले दो सालों से शिक्षा और रोड के नाम पर कोई कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटे हुये धन के व्यय का ब्योरा देगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, गन्ना सोसाइटी, घुघली, जिला गोरखपुर, द्वारा गन्ना किसानों से पिछले २ सालों १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में शिक्षा तथा रोड के नाम पर कटौती की गई । इस कटे हुये धन का सम्पूर्ण विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८-५९ पर)

*९---श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की केन डेवलपमेंट यूनियन, घुघली, का १९५६-५७ का गन्ना बिक्री कमीशन अभी तक पंजाब शुगर मिल, घुघली, ने नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं, पंजाब शुगर मिल लिमिटेड, घुघुली, ने केन डेवलपमेंट यूनियन, घुघली का सन् १९५६-५७ का गन्ना बिक्री कमीशन का पूरा-पूरा भुगतान कर दिया है ।

जेल डिपार्टमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ में गबन

*१०---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल डिपार्टमेंट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बाल्मीकि मार्ग, लखनऊ, में करीब १६,००० रुपये का गबन हुआ है और इसकी सूचना डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने अपने पत्र संख्या ७२७०/७ डी० आर० आडिट, दिनांक २० फरवरी, १९५९ को आई० जी० जेल को दी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, गबन हुआ है परन्तु जब तक इस सोसायटी के हिसाब का आडिट पूरा न हो जाये तब तक गबन की निश्चित राशि बताना सम्भव नहीं है । डिप्टी रजिस्ट्रार के कथित पत्र में भी १६,००० रु० का उल्लेख नहीं है, जो समिति के मंत्री के नाम लिखा गया था । अवैतनिक मंत्री ने इस पत्र की एक प्रतिलिपि प्रधान कारागार निरीक्षक के पास भेजी थी । अवैतनिक मंत्री की रिपोर्ट पर पुलिस ने शिकायतों की जांच-पड़ताल की और उसके बाद मुकदमा चालू कर दिया गया है । जेल विभाग के एक कर्मचारी को मुअत्तल भी कर दिया गया है ।

असरकारी कृषि विद्यालयों को सहायता

*११—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसी गैर-सरकारी संस्थायें, जो कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षा देती हैं और जिन्हें सरकारी सहायता दी गई है, कौन-कौन हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९५९–६० में निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष उल्लिखित सहायता प्रदान की गई है:—

विद्यालय का नाम	सहायता की धनराशि
	रु०
१—टाउन इन्टर कालेज, बलिया	१०,०००
२—गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार ..	१२,९१२
३—एग्रीकल्चरल स्कूल (जाट कालेज), मुजफ्फरनगर ..	१०,०००
४—श्री दुर्गाजी डिग्री कालेज, चन्देसर, आजमगढ़ ..	२०,०००
५—इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, नैनी, इलाहाबाद	४०,०००

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विद्यालयों ने धन की मांग करते समय कोई ऐसी योजना सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की थी जिससे यह ज्ञात हो सके कि कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण की कौन-सी नयी सुविधायें प्रदान करके तथा किन-किन सुविधाओं का विचार करके उपयोग किया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसे जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर विचार के लिए एक बड़ा भारी प्रोफार्मा बना हुआ है और यह उन्हीं को सहायता दी जाती है जिनको जरूरत होती है और जो इस काम को करते होते हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—उत्तर में जो सूचना लिखी हुई है कि विद्यालयों को धन की सहायता दी गयी, तो इनमें से किन विद्यालयों को धन प्राप्त हो चुका है और किनको अभी धन भेजना शेष है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यहां से स्वीकृत हो गया है और वह पहुंच गया होगा या पहुंच रहा होगा ।

रोहवां ताल संबंधी भूमि की हदबन्दी

*१२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रोहवां ताल, तहसील मछलीशहर (जौनपुर) में गांव सभाओं के अलावा बहुत से किसानों की भी भूमि शामिल है ? यदि हां, तो उक्त ताल को मत्स्य पालन विभाग को देते समय गांव सभाओं और किसानों से सरकार का कोई समझौता हुआ है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, रोहवां ताल में किसानों की १७.०२ एकड़ भूमि शामिल है । उक्त ताल का कुल क्षेत्रफल १३६.०७ एकड़ है जिसमें से ६७.१२ एकड़ जो मत्स्य विभाग के अधीन है उसकी हदबन्दी माल विभाग द्वारा की जा चुकी है । गांव सभाओं या किसानों से समझौते का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल---जो माल विभाग की तरफ से हदबन्दी की गयी है वह कैसे की गयी है क्योंकि पानी सब जगह बराबर रहता है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां पर हमारा क्षेत्र खत्म होता है वहां पर पत्थर के पिलर्स खड़े कर दिये गये हैं ताकि दोनों के क्षेत्रों का अलग-अलग विभाजन हो जाय।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---जो जल खाते होते हैं इनका एक नम्बर हुआ करता है और एक नम्बर होने के कारण जो आपने खम्भे खड़े किये हैं वे पानी में हदबन्दी करते समय किस आधार पर खड़े किये गये कि इतना किसानों का है और इतना सरकार का है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---तालाब का तमाम क्षेत्र १३६.७ एकड़ है जिसमें ग्राम सभाओं का ५१.९३ एकड़ है और काश्तकारों का १७.२ एकड़ है। तो वहां पर नाप-जोख करने के बाद .....

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---पानी में कैसे नापा ?

श्री अध्यक्ष---उसके लिये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अध्यक्ष महोदय, जलखाते का एक ही नम्बर होता है। पानी के ऊपर से वह कैसे नापेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह टेक्नीकल विषय है। इसके लिये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि वह कैसे नापा जाता है।

जिला सहकारी विकास संघ, आजमगढ़ के अन्तर्गत ईंटों के भट्ठे

*१३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी विकास संघ, आजमगढ़ ने बजट वर्ष १९५८-५९ में अपने नव ईंट के भट्ठों में कितना धन लगाया था ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---सन् १९५८-५९ में कोई नया भट्ठा नहीं खोला गया। केवल तीन भट्ठे पहले से चल रहे थे। उनमें उस साल में २३,०२० रु० ६५ न० पैसा (तेइस हजार बीस रुपया पैंसठ नये पैसे) लगाये गये थे।

*१४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नव सहकारी ईंट भट्ठों की गत वर्ष की आय क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---उपरोक्त तीन भट्ठों की आय १९५८-५९ में १०,९२५ रु० १८ न०पै० (दस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये अट्ठारह नये पैसे) थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ईंटों के भट्ठे कहां-कहां थे और इनमें अलग-अलग कितने रुपये लगाये गये थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---शादी की सराय में ११,८७१ रुपये, पटवथ में ४,६४९ रुपये ६५ न०पै० और सिधारी में ६५०० रुपये लगे थे।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन भट्ठों में से कितने चल रहे हैं और कितने बन्द हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---तीनों ही चल रहे हैं।

एटा जिले में भट्ठों के लाइसेंस देने पर आपत्ति

*१५—श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में ऐसे स्थानों पर जहां सहकारी समितियां या सहकारी संघ कार्य कर रहे हैं, भट्ठे के लाइसेंस व्यक्तिगत लोगों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसे स्थान निम्नांकित हैं:—

१—एटा , २—राजा का रामपुर, ३—अलीगंज।

श्री रघुवीर सिंह—इन तीन स्थानों के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख किया गया है, निधौली कलां में जहां सहकारी संघ और सहकारी समिति काम कर रही है, भट्ठे का लाइसेंस व्यक्तिगत रूप से दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—श्रीमन्, मेरी इत्तला यह है कि ये तीन ही हैं जिनका उल्लेख उत्तर में किया गया है।

श्री रघुवीर सिंह—क्या मंत्री जी मेरी सूचना को नोटिस मानकर जांच करायेंगे कि निधौली कलां में व्यक्तिगत रूप से भट्ठे के लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति से ऐसा कर दिया हो। यदि आप लिखकर देंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री चन्दजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां सहकारी संघ चल रहे हैं वहां व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस क्यों दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह पैदा नहीं होता है, वह कहते हैं कि नहीं दिये गये।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शासन के ऐसे निश्चित आदेश नहीं हैं कि यदि सहकारी संघ की तरफ से प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो उसको प्राथमिकता दी जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कोआपरेटिव के जो भट्ठे होते हैं वे प्लानिंग के कामों में ईंटें देते हैं आम जनता के लिये व्यक्तिगत भट्ठे रहते हैं।

श्री रघुवीर सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो सहकारी भट्ठा चलता था, उसको क्यों बन्द किया गया और व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—व्यक्तिगत भट्ठे पहले से चल रहे हैं। कोआपरेटिव के बाद में ५४–५५ या ५६–५७ में खुले हैं और उनके ४७–४८ से चल रहे हैं। तो बन्द का सवाल कहां पैदा हुआ ?

नगलाधाता सहकारी संघ में कथित गबन

*१६—श्री भूपकिशोर (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सोसायटी, नगलाधाता, जिला एटा में सन् १९५७ व १९५८ में गबन हुआ था ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का गबन हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—एटा जिले में नगलाधाता नाम की कोई कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं है। इस नाम का सहकारी संघ है जिसमें १९५७–५८ में कोई गबन नहीं हुआ।

जौनपुर जिले में कृषि फार्म खोलने की प्रार्थना

*१७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां कृषि फार्म सरकार की तरफ से खुलने वाले हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इस जिले में अभी हाल में कोई फार्म खुलने की आशा नहीं है, पर कोशिश की जा रही है कि हर ब्लाक में फार्म खोला जाय।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जिले में जमीन नहीं मिल रही है या कोई खास कारण है जिसकी वजह से फार्म नहीं खोले जा रहे हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जो आवेदन-पत्र हमारे पास आये हैं जमीनें देने के लिये उनमें कोई मुनासिब जमीन नहीं है। या तो वह ऊसर है या उसमें खेती नहीं हो सकती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कम से कम कितनी जमीन की जरूरत होती है जब सरकार फार्म खोलती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---कम से कम २५ एकड़।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ऊसर, परती और बंजर जमीन को सरकारी ढंग पर आबाद करने की योजना पसन्द नहीं करती ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, वह दूसरी योजना है और सीड फार्म्स की दूसरी योजना है।

घियाबाती घास का अन्वेषण

*१८---**श्री राजेंद्र सिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुओं के चारे के निमित्त एक नई घास घियाबाती का पशु चिकित्सा विद्यालय, मथुरा ने अन्वेषण किया है ? यदि हां, तो उसके बीज के वितरण की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, घियाबाती घास का पता चला है। अभी यह प्रयोगात्मक स्थिति में है। अतः बीज के वितरण की व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि इस घास और विवेकानन्द लेबोरेटरी में जो घास पर रिसर्च हुई है, इन दोनों घासों में कौन सी अच्छी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी, लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न हमारे सामने है। जानवरों के लिये उतनी घास हैं या और भी खाने की चीजें हैं उन पर काफी खोज की जरूरत है और उस तरफ हमारा ध्यान है और विवेकानन्द लेबोरेटरी में भी इस पर कुछ काम हुआ है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह नई घास है या कोई लता है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह एक प्रकार की लता है, लेकिन घास के तरीके पर इस्तेमाल की जायगी।

सहकारी तथा गन्ना सहकारी नलकूप

*१९---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने Co-operative tube-wells तथा कितने Cane Co-operative tube-wells हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न १८ श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने पूछा।

श्री वीरेंद्र वर्मा---प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में ४६२ सहकारी नलकूप तथा १७५ गन्ना सहकारी नलकूप हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों को सरकार द्वारा चलाने के लिए कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट और केन डिपार्टमेन्ट की तरफ से सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---जी हां।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र कब आये और उन पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---पिछले कई सालों से दोनों विभागों के काश्तकार, जिनके ये ट्यूबवेल हैं, इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग इन नलकूपों को ले ले। सरकार ने उस सिलसिले में डेवलपमेंट कमिश्नर के अधीन एक कमेटी बैठायी है। सिंचाई विभाग के अधिकारी और रजिस्ट्रार भी उसमें हैं, जो जल्दी ही इस प्रश्न पर विचार कर लेंगे।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतायेगी कि जितने इनके कोआपरेटिव ट्यूबवेल हैं इनमें से क्या यह सही है कि ६० प्रतिशत बेकार पड़े हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---जो बात दुबे साहब ने कही है यह सत्य नहीं है। अलबत्ता ४६२ नलकूपों में से १४६ ठीक काम कर रहे हैं और बकिया ३१६ नहीं चल रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ४६२ ट्यूबवेल में से कोई ३०० ट्यूबवेल जो बेकार पड़े हैं, इसके साथ यह भी सही है कि जिन लोगों ने सरकार से लोन लिया है वह सख्ती से वसूल किया जा रहा है, जब कि ट्यूबवेल्स काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---जबर्दस्ती तो वसूल नहीं किया जा रहा है। शिकायत आने पर उसको स्थगित कर दिया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स जितने भी बने हैं उनमें से एक भी काम नहीं कर रहा है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---संभवतः जो माननीय सदस्य की सूचना है, वह सही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि लगभग ३०० ट्यूबवेल्स जो बेकार पड़े हैं, इसके संबंध में कोई ऐसी मेकैनिकल राय लेगी कि वह पुनर्जीवित किये जा सकें ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---मैंने अभी जो बताया उसके अलावा यह और बताना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग ने १,६५,००० रु० मांगे हैं जिससे इन ट्यूबवेल्स को टेस्ट किया जा सके। जो टेस्ट में ठीक हो जाते हैं और जो चार नियमों में आ जाते हैं---उसका कमांड कितना है, बिजली पास है, कितने गैलन पानी एक घंटे में देता है, वगैरह---अगर वह रुपया मंजूर हो जाता है तो उसमें वह जल्दी ही टेस्ट करके ले लिये जायेंगे।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स में लखनऊ का अन्दरगांव का ट्यूबवेल्स भी विचाराधीन है या नहीं ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---हां, वह भी इसी में शामिल है। मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि जो मैंने फिगर्स दी हैं उनमें आता है या नहीं, लेकिन अगर कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स है तो जरूर सम्मिलित होगा।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि यह जो ३०० के करीब ट्यूबवेल्स बेकार पड़े हुए हैं इनकी कुल कितनी लागत हुई ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—प्रत्येक ट्यूबवेल में करीब १५ हजार रुपया लगा है ।

रीजनल फूड कंट्रोलर, कानपुर द्वारा नियुक्तियां

*२०—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में Regional Food Controller, कानपुर द्वारा कई नियुक्तियां, बिना Employment Exchange द्वारा निर्देश किये, कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी नियुक्तियां किस पद की, किस वेतन-क्रम पर और किस अवधि के लिये की गयीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आर० एफ० सी०, कानपुर ने सन् १९५९ में तीन माह के लिए १२ मार्केटिंग इन्सपेक्टर ८५-५-१६० रु०, १ एसिस्टेंट मार्केटिंग इन्सपेक्टर ६०-३-९० रु०, ३ क्लर्क ६०-३-९० रु० तथा ६ कामदार ३२-१-३७ रु० मासिक वेतन-क्रम पर, जिन्हें रोजगार दफ्तर में नहीं भेजा था, नियुक्त किये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो १२ मार्केटिंग इन्सपेक्टर और ८८ दूसरे कर्मचारी मुकर्रर हुए हैं इनकी नियुक्तियां क्या निरन्तर की अस्थायी नियुक्तियां हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ये तो टेम्पोरेरी हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये टेम्पोरेरी नियुक्तियां निरन्तर की अस्थायी नियुक्तियां हैं, या पहले की भी टेम्पोरेरी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो नये सिरे से रखे गए हैं । बहुत से लोग हमारे डिपार्टमेंट से रिट्रेंच्ड होकर गवर्नमेन्ट के दूसरे दफ्तरों में चले गये थे, उनको वापस बुलाया है, वे आये हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे इंसपेक्टर जो दूसरे विभागों से आये हैं वे वहां पहले भी अस्थायीरूप में थे और अब भी अस्थायी रूप में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तक सारा डिपार्टमेन्ट ही अस्थायी था तो उसके सब कर्मचारी भी अस्थायी ही हैं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने ही यह घोषणा की थी कि यह विभाग अब स्थायी कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो आपने सप्लीमेन्ट्री डिमांडस में किया है और अब इसको किया जा रहा है । अभी टेन परसेंट का हुआ है और अभी काम चालू है, उसके रूल्स वगैरह बन रहे हैं; अभी कोई स्थायी हुआ नहीं है, कन्फर्म कोई नहीं हुआ ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी, जितनी भी नियुक्तियां अस्थायी रूप से कर चुके हैं, उनको एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज में निर्देशन के लिए भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो काम जितना वसूलयाबी वगैरह का है उसी के मुताबिक रखे गये हैं । अभी कोई स्थायी होने का सवाल है नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो नियुक्तियां इस विभाग में अब की जायेंगी व एम्प्लाइमेन्ट एक्सचेंज के द्वारा की जायेंगी या सीधे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—साधारणतया एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा ही की जाती हैं और बहुत सी एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के द्वारा ही हुई हैं। लेकिन चूंकि केवल तीन महीने की थीं और काम जल्दी का था और वह अपने ही डिपार्टमेण्ट के थे, इसलिए उनके लिये कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता था।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी तथा श्री लताफत हुसैन के निधन पर शोकोद्गार

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, जब यह सदन पिछली बार उठा तब से लेकर आज के बीच में हमारे प्रदेश में दो बड़ी दुखद घटनाएं हुईं। एक तो श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, जो पार्लियामेंट के सदस्य थे, उनका निधन हुआ और दूसरे श्री लताफत हुसैन, जो मुरादाबाद जिले के रहने वाले और इस सदन के भी एक सदस्य रहे हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई।

विश्वम्भर दयाल जी त्रिपाठी हमारे प्रदेश के मुख्य नेताओं में से थे। १८९९ में उनका जन्म हुआ था और २२ साल की अवस्था में ही उन्होंने यानी १९२१ में कांग्रेस में बड़ा सक्रिय भाग लेना शुरू किया। वह शुरू से ही उग्र और प्रोग्रेसिव विचार के थे। उन्होंने समाजवाद के विचारों को फैलाने में पूरा-पूरा भाग लिया। वह सन् १९३९ में फार्वर्ड ब्लाक के भी मेम्बर थे और बाद को आल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक के सेक्रेटरी भी हुए थे। हमारे किसान आन्दोलन में उन्होंने भाग लेकर इसमें काफी प्रगति की और बड़ी कामयाबी के साथ १९३०–३२ में किसान आन्दोलन को चलाया। यह सबको विदित है कि हमारे इस सदन के सदस्य की हैसियत से उन्होंने भूमि व्यवस्था कानून के सम्बन्ध में पूरा-पूरा योग दिया। यहां पर जो जमींदारी उन्मूलन विधेयक बना था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा भाग लिया था। उसके पश्चात् कांस्टीट्युएण्ट असेम्बली के भी सदस्य चुनकर वह गये थे और उसके बाद से हमारी लोक सभा के सदस्य रहे।

विश्वम्भर दयाल जी त्रिपाठी के सम्पर्क में मुझे भी आने का मौका मिला। हम लोगों के वह पुराने साथी थे। मैं लगभग ३० वर्ष से उनको जानता था। वह कांग्रेस के एक निर्भीक सिपाही थे और अपनी बात को कहने में वह किसी के सामने कभी भी हिचकते नहीं थे और हमेशा उन्होंने अपने जिले में भी जनता की पूरी-पूरी सेवा की। हमारे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई साल तक वह वाइस-प्रेसीडेंट तथा सेक्रेटरी के पद पर रहकर प्रदेश की काफी सेवा करते रहे। उन्नाव जिले में सुभाष कालेज की उन्होंने स्थापना की और शिक्षा के प्रसार में उन्होंने काफी दिलचस्पी से काम किया, जिसके फलस्वरूप हमारे उन्नाव के सारे जिले में जूनियर हाई स्कूल का एक जाल बिछा हुआ है और उसकी वजह से उन्नाव जिले में शिक्षा में काफी उन्नति हुई है। उनके मर जाने से हमारे सूबे की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और जो गैप हो गया है उसकी पूर्ति असम्भव-सी प्रतीत होती है।

हमारे लताफत हुसैन साहब भी अभी ४८ वर्ष के थे और वह एक राष्ट्रीय विचार के आदमी थे। जिस जमाने में मुस्लिम लीग बड़े जोरों पर थी और कांग्रेस को एक हिन्दू जमात कह कर पुकारती थी, हमारे लताफत साहब कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्त्ता थे और उस साम्प्रदायिक भावना का मुकाबला उन्होंने बड़ी खूबी के साथ किया और कांग्रेस की बड़ी सेवा की। हमारे सदन के, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, वह सदस्य रह चुके हैं। वह एक अच्छे, धनी-मानी खानदान से थे लेकिन उनका रहन-सहन इतना सीधा-सादा था और वह इतने मृदुभाषी थे कि वह सब के प्रिय थे। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की हैसियत से भी उन्होंने प्रदेश की सेवा की और इस तरह से हमारी कांग्रेस की हिस्ट्री में भी उनकी एक ऊंची जगह है। उनके मर जाने के बाद हमारी एक ऐसी क्षति हुई है कि जिसकी पूर्ति हमें मुश्किल दिखाई देती है।

इन दोनों महानुभावों की मृत्यु से हमारे प्रदेश को बड़ी हानि पहुंची है। इस सदन की ओर से इन दोनों के दुखित परिवारों के प्रति मैं सान्त्वना प्रकट करता हूं और श्रीमन् से निवेदन

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

करता हूं कि इस सदन की ओर से यह संदेश इन दोनों के दुखित परिवारों के पास भेज दिया जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वम्भर दयाल जी को जब से मैं जानता हूं तब से मैं इसी रूप में जानता हूं कि वह अपने प्रदेश और सारे देश के गरीबों के मददगार थे। विचारों में उग्र और अपने मित्रों में भी अपने विचारों के कारण कभी-कभी अप्रिय बन जाते थे और फिर भी इस देश के करोड़ों जो निर्धन लोग हैं, जो सताये हुए लोग हैं उनकी मदद करने से वह हिचकते नहीं थे। अच्छा होता कि आज भी विश्वम्भर दयाल जी हम लोगों के बीच में होते। स्वस्थ रह कर हमारे देश के गरीबों की बहुत कुछ सेवा वह कर सकते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने में उनको नहीं रख पाये। उनके गुणों की चर्चा माननीय उपनेता सदन ने की। वह खुद भी बुजुर्ग हैं और उन बुजुर्गों की बहुत सी पुरानी बातें और गुणों को वह अधिक जानते हैं। मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश की बड़ी भारी क्षति विश्वम्भरदयाल जी के उठ जाने से हुई है। मैं अपने दल की ओर से आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि विश्वम्भरदयाल जी के संतप्त परिवार को हमारी समवेदना पहुंचा दें।

लताफत साहब के संबंध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। लताफत साहब का संबंध जहां से मैं आता हूं वहां से है और कुछ निजी भी है। पिछले जमाने में जिस वक्त लताफत साहब इस सदन के एक प्रमुख अधिकारी थे उस समय भी उनसे कुछ बातचीत का, मिलने-जुलने का मौका मुझे मिलता था। उनमें भी, जैसा कि माननीय उप-नेता सदन ने कहा, काम करने की एक अजीब लगन थी, और अपने फर्ज को अदा करना ही उनका उद्देश्य था। खास तौर से उस जमाने में, जबकि ऐसे राष्ट्रीय विचार के लोगों को अपने ही लोगों में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। हम लोगों के बीच में वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके रहने से हमें लाभ होता और खासकर इस नाजुक समय में। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके संतप्त परिवार को समवेदना पहुंचाने के लिए आपसे आग्रह करता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार तक आप इसे पहुंचा देंगे। यह हानि उनके परिवार की ही क्षति नहीं है बल्कि सारे देश की क्षति है। उनके परिवार को हमारी समवेदना से कुछ संतोष अवश्य होगा।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वम्भर दयाल जी त्रिपाठी से मेरा प्रथम परिचय १९२२ में हुआ। स्वाधीनता संग्राम के एक सैनिक के रूप में सन् १९२२ से लेकर सन् १९४६ तक लगभग २४ वर्ष तक मुझे उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में काम करने का अवसर मिला। मैंने सदैव उनको एक बहादुर, त्यागी, तपस्वी और सच्चे सैनिक और सेनानी के ही रूप में पाया। उनके गुणों की चर्चा, जब हृदय दुख से भरा हुआ हो, करने की अधिक क्षमता मुझमें नहीं है और अभी माननीय न्याय मंत्री महोदय ने उनके गुणों की जो चर्चा की है मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री लताफत हुसैन साहब भी एक राष्ट्रीय विचार के मुसलमान थे। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पहले भी थी और आज भी है। इस प्रकार के साथियों के निधन से राष्ट्र की, देश की, अपार क्षति होती है और मैं न्याय मंत्री महोदय से इस बात में सहमत हूं कि उसकी पूर्ति असम्भव है। मैं अपनी और अपने दल की दोनों की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों की समवेदना आप उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, श्री विश्वम्भर दयाल जी त्रिपाठी तथा श्री लताफत हुसैन साहब के निधन का समाचार जब मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा तो मेरे हृदय को बड़ी ही मार्मिक चोट पहुंची। श्री विश्वम्भरदयाल जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी था। विश्वम्भरदयाल जी के संबंध में माननीय उपनेता सदन ने, पालीवाल जी ने और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने जो भाव प्रकट किये हैं मैं उनसे सहमत हूं। उनमें जो एक खास बात थी उसको मैं भी इस अवसर पर प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। उनकी निर्भीकता और अपने दल विशेष की अनुचित बातों की, यदि कोई हों, कटु आलोचना करना उनके विशेष गुण थे और इन गुणों के लिये कभी-कभी उनको मुसीबत भी उठानी पड़ती थी। इस अवसर पर मुझे उनकी दार्शनिकता की बात याद आती है। जहां पर विशेष अन्याय हो रहा हो तो वह न्यायार्थ संघर्ष करने के लिये तैयार रहते थे और जेलखाने को सबसे अच्छी जगह समझते थे। विश्वम्भर दयाल जी ने, चाहे वह विदेशी सरकार से रहा हो और चाहे देशी सरकार से रहा हो, किसी के जोर व जुल्म का मुकाबला करने में अपने को किसी से पीछे नहीं रखा। कांग्रेस जब तक राष्ट्रीय मंच के रूप में थी तो उसके सक्रिय सेनानी की हैसियत से और इसके बाद फार्वर्ड ब्लाक के संगठन के जरिये, और उस समय जबकि कुछ विशिष्ट नेतागण किसान संगठन को संगठित करने में हिचकते थे उस अवसर पर भी विश्वम्भरदयाल जी त्रिपाठी ने किसान संगठन को कांग्रेस के बाहर संगठित करके देश और प्रदेश के अन्दर एक क्रान्तिकारी भावना को प्रसारित करने का सफल प्रयत्न किया था। अनेक प्रकार से उनकी सेवायें थीं।

विश्वम्भर दयाल जी त्रिपाठी एक शिक्षक की हैसियत से भी थे। वह साधारण तरीके से किसी शिक्षा संस्था में नौकरी नहीं करते रहे हों, मगर उनका ही विशिष्ट प्रयत्न आज फलीभूत हो रहा है कि उन्नाव जिले में आज शिक्षा का जाल बिछा हुआ है और करीब-करीब हर प्रमुख स्थान पर एक शिक्षा की संस्था अवश्य है।

विश्वम्भर दयाल जी का सभी से सम्बन्ध था। इस अवसर पर, श्रीमन्, मैं उस घटना का वर्णन करना भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जब सन् १९५८ में उन्नाव जिले में मेरी गिरफ्तारी हुई थी। उस समय विश्वम्भर दयाल जी ने, उस समय वह जीवित थे, गिरफ्तारी के बाद मुझे बुलवाया था और उनकी निर्भीकता का इससे भी अच्छा परिचय मिलेगा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी गिरफ्तारी प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन के अवसर पर जिस ढंग से हुई है उसको सुन कर और देख कर मेरा भी खून गरम हो उठा है और मैं भी सोचता हूं कि मैं सक्रिय तरीके से कूद पड़ूं मगर उस समय उनकी शारीरिक स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी। इससे पता लगता है कि उनके दिल में कितनी लगन थी।

वह अक्सर कहा करते थे, श्रीमन्, कि जो लोग अंग्रेजों की गोली से नहीं डरते थे वे लोग भी आज पदलोलुपता के चक्कर में पलायनवादी और अवसरवादी स्थिति में चले जा रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं इसका विरोध करता हूं। उनका यह भी कहना था कि अन्याय का जो तुम लोग विरोध करते हो तो अच्छा करते हो, डटकर इसका विरोध करो। सदन के सम्मानित सदस्य समझ सकते हैं कि ऐसे पुरुष का निधन आज ऐसे लोगों के लिये कितना कष्टकर और दुखप्रद होगा जो लोग सही तरीके से आज के युग में अन्याय के विरुद्ध निरन्तर संघर्षरत हैं।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब अंडमन म प्रवासी लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी तो उसकी जो एक समिति बनी थी उसके कमीशन के सदर की हैसियत से भी वह गये थे और उन्होंने जो अपना प्रतिवेदन दिया था उससे प्रवासी भारतियों का कितना उद्धार हुआ था। इस अवसर पर उस पर भी हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी।

हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे दल के सदस्य, उनके एकमात्र पुत्र श्री कृष्णदेव जी हैं। हम चाहते हैं कि उनके अन्दर वह आत्मबल हो, वह शक्ति हो कि वह अपने पूज्य पिता के इस असामयिक निधन से जो उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है, उनके परिवार की जो व्यक्तिगत क्षति हुई है, इस प्रदेश की और इस देश की क्रान्तिकारी भावनाओं की जो क्षति हुई है उस क्षति भार को वहन करने की शक्ति उनमें होगी।

श्रीमन्, इस समय इस सदन के सम्मानित सदस्य उस बात से भी भली-भांति परिचित हैं जबकि वर्तमान पुलिस न उन्नाव के जिले में अनेक प्रकार की खुराफात पैदा कर रखी थीं तो वह

[श्री राजनारायण]

श्री विश्वम्भर दयाल जी त्रिपाठी थे जिनके नेतृत्व में उन्नाव की पुलिस के जोर-जुल्म के मुकाबले में एक बहुत ही सचेत आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। वह घटना विस्तृत रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। हम आज विश्वम्भर दयाल जी के गुणों के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं और उनके निधन से जो आज हमारी क्षति हुई है उसके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं, और दुख प्रकट करत हैं।

आज हमारा हृदय भरा हुआ है। जिस ढंग से कि उनकी मृत्यु हुई, उस पर भी हमें एक वाक्य कहना पड़ेगा। उनके पेनिसिलीन इंजेक्शन लगे, सुई लगी, समाचार-पत्रों में इस पर काफी चर्चा हुई है और तब से अब हम लोग भी पेनिसिलीन की सुई लगवाने में हिचकिचाते हैं। डाक्टर लोग भी इस परेशानी में पड़े हुए हैं कि पेनिसिलीन की क्या व्यवस्था हो (हंसी)। हमारे सदन के कुछ सदस्य इस गम्भीर स्थिति पर भी हंस रहे हैं। सारे प्रदेश के डाक्टर, सारे देश क डाक्टर, केन्द्रीय सरकार का दवा विभाग और प्रान्तीय सरकार का दवा विभाग आज इस बात से चिंतित है कि पेनिसिलीन का उपयोग कैसे किया जाय; इसमें जो दोष आ गये हैं, उनका परिमार्जन कैसे किया जाय और यह दोष जो आज इस रूप में दिखाई पड़ रहा है वह विश्वम्भर दयाल जी के निधन का एक फल हो रहा है। उस पर भी आज काफी चर्चा हो रही है। इन तमाम तथ्यों को हम सामने देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज अगर विश्वम्भर दयाल जी हमारे बीच में होते और उनकी असामयिक मृत्यु न हुई होती तो हमको उनसे कितनी प्रेरणा और शक्ति मिला करती। हम इन भावों के साथ अपना और अपने दल का पूरा-पूरा आदर तथा श्रद्धाञ्जलि उनके प्रति प्रकट करते हुए अपनी हार्दिक समवेदना उनके परिवार के प्रति प्रकट करते हैं और आपस निवेदन करत ह कि आप हमारे इन भावों को उन तक पहुंचा दें।

श्रीमन्, श्री लताफत हुसैन जी भी आज हमारे बीच में नहीं रह गये हैं। आज लताफत हुसैन जी की हमारे बीच में रहने की कितनी आवश्यकता थी, इसको सारा सदन जानता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इन्सान जो साम्प्रदायिकता को सही तरीके से, साकार रूप में, मूर्तमान स्वरूप में चोट पहुंचाता हो और उसके प्रभाव को खत्म करता हो, वह अगर आज हमारे बीच स उठ जाता है तो निश्चय ही हमारे लिये यह महान् दुख की बात है। लताफत हुसैन जी निश्चित-रूप से लीगी मनोवृत्ति के दुश्मन थे, वह निश्चित रूप से राष्ट्रवादी थे और आज जो साम्प्रदायिक मनोवृत्ति चल रही है उसके दुश्मन के रूप में खड़े होकर उसके विरोधी थे। आज इस अवसर पर जबकि हमारे देश में साम्प्रदायिक भावना दब-दब कर उठा करती है, श्री लताफत हुसैन जी का न रहना अनिष्टकर है। हम उनके प्रति अपना पूरा आदर भाव प्रकट करते हुए, अपने और अपने दल की ओर से दुखी परिवार, संतप्त परिवार के पास समवेदना भेजने के लिये आपस निवेदन करते हैं। आप हमारे इन भावों को उन तक पहुँचा दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, अभी जिन दो महानुभावों के निधन पर उपनेता सदन ने जो बातें कहीं तथा अन्यान्य नेताओं ने कहीं उनके साथ हम अपने को और जनसंघ को सम्बद्ध करते हैं। अपने प्रान्त से इतने बड़े लोग उठ जायं, यह बड़े दुख का विषय है। मैं अपनी और अपने दल की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और श्रीमान् से निवेदन है कि हम सब की समवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी मेरे लिये बड़े भाई के समान थे। १९४२ की फरवरी से लेकर १९४३ की जुलाई तक फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में हम लोग साथ-साथ एक ही बैरक में रहे। उसके पहले उनके साक्षात् और निकट रहने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन जेल में डेढ़ वर्ष तक उनके निकटतम रहते हुए मैंने उनके अन्दर उन सभी गुणों को पाया जिनकी चर्चा भाई गेंदासिंह जी ने अभी की है। वे गुण उनके अन्दर कूट-कूट कर भरे हुए थे। निर्भीकता, स्पष्टवादिता---उनके विशेष और महान् गुण थे और इसके कारण उनको कभी-कभी जेल में भी और बाहर भी लोगों का अप्रिय बनना पड़ा

और इससे उनको भौतिक हानि भी उठानी पड़ी लेकिन उन्होंने अपने इन गुणों को छोड़ा नहीं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से ही उनका सम्बन्ध उससे रहा। आदरणीय नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के फार्वर्ड ब्लाक के भी वह अखिल भारतीय नेता रहे। हमारे प्रदेश में जो प्रारम्भिक किसान आन्दोलन चला उसमें भी त्रिपाठीजी का बड़ा प्रमुख हाथ था। जेल के भीतर, जेल में जाने के पहले और १९४६ के बाद भी हमारे प्रदेश में जो मुख्य संघर्ष चले हैं उनमें उनका प्रमुख योगदान रहा। वह क्रान्तिकारियों के रक्षक तथा सहायक रहे थे। त्रिपाठी जी के निधन से हमारे प्रदेश और देश की जो राजनीतिक हानि हुई है उसके अलावा उनके निधन को मैं अपने बड़े भाई का निधन मानता हूं, क्योंकि उनके सगे छोटे भाई श्री बाल गंगाधर त्रिपाठी देवली नजरबन्द कैम्प जेल में हमारे साथ ही थे और हम दोनों एक साथ ही वहां से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आये थे और वह हम दोनों को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। त्रिपाठी जी के निधन से हमारे हृदय को जो चोट पहुंची है उसको मैं अधिक व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और हमारे दल की ओर से जो हमारी भावनायें हैं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

माननीय श्री लताफत हुसैन जी हमारे प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रवादी मुसलमान योद्धा थे। आज हमारे प्रदेश में और देश में जबकि तरह-तरह की प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक ताकतें फिर से सर उठा रही हैं उस समय ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान के हमारे बीच में रहने से उनकी अधिक से अधिक सेवा हमें प्राप्त होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और हमारे दल की जो भावनायें हैं उनको उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आदरणीय त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व से व्यक्तिगत रूप से परिचित न होते हुए भी मैं यह बात अनुभव करता हूं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसमें ज्यादा चकाचौंध तो नहीं थी परन्तु उसमें प्रकाश ज्यादा व्यापक था। अपने प्रगतिशील विचारों के कारण ही देश में जो राष्ट्रीय आन्दोलन चले उनमें वे लगातार अनवरत लगे रहे और अपने व्यक्तित्व की वजह से पार्टी की सीमा से बाहर भी लोगों की असीम श्रद्धा वह पाते रहे। ऐसा व्यक्तित्व त्रिपाठी जी का था। मैं अपने तथा अपने साथियों और अपने दल की तरफ से उनके प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करता हूं और अपनी हार्दिक समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति प्रकट करता हूं।

श्री लताफत हुसैन के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी के निधन के सम्बन्ध में उपनेता सदन तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो अपना दुख और भावनायें प्रकट की हैं उन भावनाओं के साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। वह एक महान् व्यक्ति थे, निर्भीक थे, सदाचारी थे और जीवन भर, अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि उन्हें दमे की बीमारी होने पर भी, भारी तकलीफ रहने पर भी कर्तव्यपालन में वह हमेशा आगे रहते थे और उस अवस्था में भी वह हमेशा मेहनत से काम करते थे। वैसे तो मेरा उनका परिचय सन् १९२१ से हुआ था जब से कि वह असहयोग आन्दोलन में आये और शायद वह अपने जिले की जिला कांग्रेस कमेटी के भी उस समय प्रेसीडेंट हो गये थे लेकिन सन् १९३० और ३२ के बीच में जब वह प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हो गये थे और सन् १९३२ में वह मेरे साथ लखनऊ जिला जेल में रहे थे, उस वक्त उनसे मेरा बहुत निकट का सम्पर्क हुआ। उनके सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि उसी अवसर में उनके प्रति मेरा बड़ा आदर उत्पन्न हुआ, उन्हें दमे से इतनी ज्यादा तकलीफ कभी-कभी होती थी कि ऐसा लगता था कि वह खत्म हो गये लेकिन वह निर्भीकता से सदैव ही इस तरह की बीमारी का सामना करते रहे। जेल से बाहर निकलने पर भी मैंने देखा कि जितने भी नवीन आंदोलन चले उनमें वह अगुवा रहे, किसान आन्दोलनों में वह अगुवा रहे, वह सदैव निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति रहे,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इसके लिये उनको तकलीफ भी झेलनी पड़ी---अनुशासन के चक्कर में। जिसके वह दोस्त होते थे उससे वह दोस्ती भी बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। उसका एक नमूना आपको स्पष्ट ही है उनके विश्वास के बारे में। फार्वर्ड ब्लाक में ही बहुत लोग कहते रहे कि हमारे नेता जी नहीं रहे लेकिन उनको यह विश्वास रहा कि वह अभी भी जीवित हैं और अवश्य आवेंगे, इसको चाहे लोग हंसी की दृष्टि से देखते हों लेकिन विश्वास की खूबी है कि असीम श्रद्धा जिस पर हो उसकी मृत्यु का उसको विश्वास नहीं होता कि वह मर भी सकता है। इतने वह विश्वासी थे, तपस्वी थे। हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा हमको दिखाई पड़ती है।

राजनैतिक क्षेत्र में तो हमने बयान कर ही दिया लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा भारी काम किया। मुझे कई बार उनके निमंत्रण पर उन्नाव जाना पड़ता रहा है, मैं उनको हमेशा अपने छोटे भाई की तरह प्रेम और आदर से देखता था, उनके उच्च चरित्र के कारण। कभी-कभी वह मुझे अपनी शिक्षा संस्थाओं में ले जाया करते थे, मुझे सुभाष कालेज में कई बार जाने का मौका मिला। ऐसे तपस्वी और कर्मठ व्यक्ति के चले जाने से और विशेषकर उस व्यक्ति के चले जाने से जिससे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो मुझे व्यक्तिगत दुख हुआ है। राष्ट्र की तो हानि हुई ही है ऐसे व्यक्ति के चले जाने से और उनके स्थान की पूर्ति होना मुझे तो आजकल की परिस्थिति में कठिन ही प्रतीत होता है, जब कि पार्टीबन्दी के झगड़े इस प्रकार चल रहे हैं कि लोग भाईचारा भी भूल जाते हैं। जिस किसी ने उन्नाव में जाकर देखा होगा उसने यह पाया होगा कि चाहे कितने ही अच्छे लड़ने वाले त्रिपाठी जी हों लेकिन उन्नाव जिले में एक कोने से दूसरे कोने तक हर पार्टी के आदमी उनसे प्रेम करते थे और उनके सहयोग से काम करते थे। यह उनमें विशेषता थी। मैंने वहां हमेशा यही देखा कि जो विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी कहते थे कि यह हो, वही सब कहते थे। रचनात्मक कार्यों में इतना जबर्दस्त सहयोग मैंने और कहीं नहीं देखा। अगर वह क्रान्तिकारी थे तो उन्होंने यह भी क्रान्ति अपनी कार्यशैली में दिखाई कि जहां तक रचनात्मक कार्य हैं उनमें सब पार्टियों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये वह लोकप्रिय थे। बहुत से अफसर उन पर आक्षेप करते थे कि इनके जिले में रहना मुश्किल है। इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो तो वहां वे टिक ही नहीं सकते। इसका कारण था। वह निर्भीक तो थे ही, अत्याचारों का स्पष्ट रूप से विरोध करते थे। दूसरी बात यह थी कि किसी और दूसरी पार्टी का सहारा अफसरों को नहीं मिलता था कि जिसके बल पर कह सकते कि विश्वम्भर दयाल जी गलत बात कह रहे हैं। इतना महान् व्यक्ति इस तरह से चला जाय, गलती से कहिये या लापरवाही से कहिये, यह बड़े दुख की बात है। मुझे दो ही तीन महीने पहले वह सुभाष कालेज में मिले थे। मैंने उनके दमे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अबकी कुछ महीनों से बिलकुल अच्छा हो गया हूं। मैं तो समझा था कि उनका जीवन काल अब बढ़ गया जबकि उनकी दमे की बीमारी खत्म हो चुकी थी जो कि मैं समझता हूं कि आमतौर पर किसी की खत्म नहीं होती। फिर उनका अचानक चले जाना, इससे मुझे बड़ा भारी धक्का लगा। जिनसे यह आशा थी कि और आगे देश सेवा करेंगे, वह हमारे बीच से चले गये। इसलिये हम सबको दुख होना स्वाभाविक है। जो समवेदना इस सदन में व्यक्त की गयी है उसको सदन की तरफ से और अपनी तरफ से मैं उनके कुटुम्बियों को भेज दूंगा।

जहां तक श्री लताफत हुसैन के बारे में कहा गया, मैं सबके साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मेरा उनसे परिचय जबसे वह सदन के सदस्य हुए तब से हुआ। मैं उनके साथ शासन में भी रहा हूं क्योंकि वह भी पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी थे और मैं भी था। हम लोग सब मिल कर काम किया करते थे। उनके बारे में सभी लोग कहते थे कि यह बड़े शरीफ अधिकारी हैं। शराफत उनकी मशहूर थी और सबके साथ प्रेम से मिल कर काम करने के लिये भी लोग उनकी तारीफ करते थे। अभी-अभी मैं रामपुर गया था तो वहीं मुझे उनकी मृत्यु के बारे में मालूम हुआ। सब लोग उनके निधन के ऊपर बहुत दुखी थे और कहते थे कि हमारे पड़ोस के जिले का एक हीरा जैसा आदमी निकल गया जिसको साम्प्रदायिकता छू तक नहीं गई थी। चाहे हिन्दू हों

या मुसलमान, सब के लिये वह प्रिय थे। ऐसे व्यक्ति के चले जाने से हमारे प्रान्त का बहुत अधिक नुकसान हुआ है और उसकी पूर्ति होना कठिन मालूम होता है। उनके सम्बन्ध में जो समवेदना प्रकट की गई वह उनके कुटुम्ब को मैं पहुंचा दूंगा।

अब हम इन दोनों दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा*

श्री अध्यक्ष—अब कुछ घोषणायें होंगी।

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८, की धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (कठिनाइयों का निवारण) आज्ञा, १९५९, को जो उक्त धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर, दिनांक ३१ अगस्त, १९५९, को चौदह दिन के लिये रखी गयी थी और जिसकी सदन की मेज पर रखे रहने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या २११६–आर (एस)/१–क, दिनांक १० जुलाई, १९५९, के साथ पठित उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या २११६–(आर–एस)/१–क, दिनांक ३ फरवरी, १९५९, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक ४ सितम्बर, १९५९, को सदन की मेज पर १४ दिन के लिये रखे गये थे, और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायतराज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से यू०पी०पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या २१७६–प/३३—४००-(१) ५६, दिनांक १२ मई, १९५९ तथा संख्या २४२१–प/३३—३९९–५९, दिनांक ३ जून, १९५९, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को जो यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १० सितम्बर, १९५९, को १४ दिन के लिये सदन की मेज पर रखे गये थे, और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की दिनांक १८ मई, १९५९, के शुद्धि-पत्र संख्या ५५८-र-स/१-क-राजस्व-घ---३४२-घ-५७, के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या ५५८-आर-एस/१-क---३४२-घ-५७, दिनांक १६ फरवरी, १९५९, तथा विज्ञप्तियां संख्या ६७५-आर-एस/१-क-राजस्व-घ---३४७-घ-५८, दिनांक २० अगस्त, १९५९, संख्या २६९८-आर-एस-/१-क-१०३१-६---५८, दिनांक २५ अगस्त, १९५९, संख्या ६३१-आर-एस/१-क---३५०८-५९, दिनांक ३१ अगस्त, १९५९, एवं संख्या २०५३-आर-एस/१-क---१३९९, २६-घ-५८, दिनांक ३१ अगस्त, १९५९, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। ये जो विज्ञप्तियां रखी जा रही हैं वे फरवरी और अगस्त की हैं जब कि हमारा हाउस ११ सितम्बर को स्थगित हुआ था। इस तरह काफी समय सरकार के पास था और उस समय ये विज्ञप्तियां रखी जा सकती थीं। इस सम्बन्ध में कई दफा व्यवस्था भी आपने दी है कि निकट ही जब सदन का सत्र बैठे उस समय वे रखी जायं लेकिन, आप देखें, बार-बार कहने पर भी इस बात की अवहेलना की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपका कहना ठीक है। देरी का कारण क्या है, माननीय मंत्री जी बतला दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसन)---पहली मर्तबा देरी हुई थी, उस समय मैंने स्पष्टीकरण भी दिया था और चूंकि १४ दिन पूरे नहीं हुए थे इसलिये अब रखना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष---६वें में तो आप फिर से नहीं रख रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---परसों देख कर बतला दूंगा।

*उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल)---मैं उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम, १९५७, की धारा ११ के अधीन बनायी गई उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण नियमावली, १९५७, की चिकित्सा विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०३७-६-क/५---५०७-५७, दिनांक १४ अगस्त, १९५९, के अधीन उक्त नियमावली में प्रख्यापित संशोधनों सहित, उक्त धारा ११ की उपधारा (३) (ब) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये भी वही आक्षेप है?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---जी हां।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये भी मंत्री जी देख लें कि क्यों देर हुई।

*फाइनेंस एकाउन्ट्स १९५७-५८ ऐंड दि आडिट रिपोर्ट, १९५८ तथा एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५७-५८ ऐंड दि आडिट रिपोर्ट, १९५९

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मैं फाइनेन्स एकाउन्ट्स १९५७-५८ एण्ड दि आडिट रिपोर्ट, १९५८ तथा एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५७-५८ ऐण्ड दि आडिट रिपोर्ट, १९५९, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अंग्रेजी की कापी हमको मिली है, हिन्दी में नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की ए० जी० की किताब है। इसका ट्रान्सलेशन करना होगा, तब हिन्दी में हो सकेगी।

श्री राजनारायण—तो ट्रान्सलेशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आपको स्टाफ बढ़ाना होगा।

श्री राजनारायण—आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जो इस सदन की भाषा है उसी में सदन में रपट रखी जाया करें। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिये यह बिल्कुल असुविधाजनक होगा।

*उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—मैं उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९, सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश नगर महापालिका निर्वाचन याचिकाओं की नियमावली, १९५९

स्वायत्त-शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका निर्वाचन याचिकाओं की नियमावली, १९५९, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति

समाज-कल्याण मंत्री (श्री ल मीरमण आचार्य)—मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९५८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ४३३५/१०—९६० (१)-५८, दिनांक १ दिसम्बर, १९५९, की उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मार्च, १९५९, की बैठक में तथा विधान सभा ने अपनी ५ अगस्त, १९५९, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १९ सितम्बर, १९५९, को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५५-५६ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५९, की बैठक में तथा विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ सितम्बर, १९५९, को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

---

* छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा––मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९५९, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५९, की बैठक में तथा विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९५९, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ सितम्बर, १९५९, को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष––अब मैं कुछ गिरफ्तारियों की सूचना आदरणीय सदन को देता हूं।

श्री अमरनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा, दिनांक १६ दिसम्बर, १९५९, को ६ बजे भारतीय दंड विधान की धारा ३४१ के अन्तर्गत गन्ना मिल से सम्बन्धित स्ट्राइक के मामले में घुघली, जिला गोरखपुर, में गिरफ्तार किये गये हैं। वह जिला जेल, गोरखपुर, में रखे गये हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा, सदस्य, विधान सभा, दिनांक १६ दिसम्बर, १९५९, को रात के ९ बजे भारतीय दंड विधान की धारा ३४१ के अन्तर्गत गन्ना सप्लाई में बाधा डालने के अपराध में बाराबंकी गन्ना मिल की प्रेमिसेज में गिरफ्तार किये गये हैं। वह बाराबंकी जिला जेल में रख गये हैं।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा, दिनांक १७ दिसम्बर, १९५९, को ३ बजे भारतीय दंड विधान की धारा १६७/३४१ के अन्तर्गत गन्ना सप्लाई में बाधा डालने के अपराध में फतेहपुर, जिला बाराबंकी, में गिरफ्तार किये गये हैं। वह बाराबंकी जिला जेल में रखे गये हैं।

श्री मदन पांडेय, सदस्य, विधान सभा, दिनांक १८ दिसम्बर, १९५९, को ७–३० बजे भारतीय दंड विधान की धारा ३४१ के अन्तर्गत गन्ना सप्लाई में बाधा डालने के अपराध में सिसवाबाजार, जिला गोरखपुर में गिरफ्तार किये गये हैं। वह जिला जेल, गोरखपुर भेजे जा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा (उपाध्यक्ष), दिनांक १९ दिसम्बर, १९५९ को २–१५ बजे भारतीय दंड विधान की धारा १४३/३४२/४४८ के अन्तर्गत अहमदनगर, जिला गोरखपुर, में अनलाफुल असेम्बली के मेम्बर होने, कार्जिग रांगफुल कनफ़ाइनमेंट ऐंड कर्मिटिंग क्रिमिनल ट्रेसपास बाई एंटरिंग मिल प्रेमिसेज, यानी लोगों को बंद करने और मिल प्रेमिसेज के अन्दर बेजाब्ता घुस आने के अपराध में गिरफ्तार किये गये हैं। वह गोरखपुर जिला जेल में रखे गये हैं।

श्री रामायण राय, सदस्य, विधान सभा, यह तो शायद छूट कर आ चुके हैं और आज यहां मौजूद हैं––दिनांक १८ दिसम्बर, १९५९, को ९–३० बजे दफा ३४१/४४७, भारतीय दंड विधान, के अन्तर्गत देवरिया गन्ना मिल में गन्ने से लदी गाड़ियों को रोकने के अपराध में गिरफ्तार किये गये।

६ सदस्यों के विषय में यह सूचना अभी तक आयी है।

अब मेरे पास कोई २२ कामरोको प्रस्ताव हैं और इनके सम्बन्ध में....

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––श्रीमन्, उग्रसेन जी भी गिरफ्तार हुये हैं परन्तु उसकी कोई सूचना आपके पास नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष--एक टेलीग्राम उनका खुद का आया है जो मुझको कल मिला था।

श्री राजनारायण--उग्रसेन जी का टेलीग्राम हमको भी कल ही मिला कि मैं १६ कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया हूं। मगर आपके पास अधिकारियों की ओर से कोई सूचना उनके पकड़े जाने के सम्बन्ध में नहीं आयी है। इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष--उनका खुद का टेलीग्राम इस प्रकार है--

"Myself-sixteen workers arrested yesterday noon. Released last night. Beaten, dragged."

इसकी जब डिटेल में सूचना आयेगी तो मैं बतलाऊंगा।

श्री राजनारायण--मेरा प्रश्न तो यह है कि जब वह गिरफ्तार हुये तो उसकी सूचना आप तक आनी चाहिये। जैसे रामायणराय जी गिरफ्तार हुये, दो रुपया फाइन हुआ, छोड़ दिये गये, मगर सूचना तो आपके पास आयी। इसी तरह से इनकी भी सूचना आनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष--यह मैं देखूंगा कि क्या हुआ।

श्री राजनारायण--तो यह मेरी नोटिस मानी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--जी हां, नोटिस मानी जायगी।

श्री उग्रसेन की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अभी-अभी मेरे पास उग्रसेन जी के बारे में तार आया है। वह इस प्रकार है कि--

"Sri Ugrasen Singh M. L. A. has been arrested in connection with cane agitation to-day U/S 65 Cr. P. C. for causing unlawful obstruction and criminal trespass inside the premises of Bhatni Sugar Mill at 1 p.m. Offence committed punishable U/S 143/341/447/149 I. P. C. He has been remanded to jail custody and lodged there this afternoon. Formal letter will follow."

यह तार कल का दिया हुआ है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, यह दूसरी गिरफ्तारी होगी क्योंकि मैं समझता था कि वह रिलीज हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--मैजिस्ट्रेट ऐसी बात नहीं कह रहे हैं।

श्री राजनारायण--श्री उग्रसेन जी कहते हैं।

श्री अध्यक्ष--वह तो मैं देखूंगा। आपने नोटिस दे दिया है। मैंने आपको तार सुना दिया।

२२ कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष--मेरे पास जो कामरोको प्रस्ताव आये हैं उनमें जो विशेष महत्वपूर्ण है उनके विषय में आपको बता देता हूं।

एक तो उन दो विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में है जो बन्द हो गये हैं और दूसरा गन्ना आन्दोलन के सम्बन्ध में है जिसके सम्बन्ध में मैंने ६ सदस्यों की गिरफ्तारी बताई और उपाध्यक्ष भी जिसमें शामिल हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा जो कानपुर में गोलीकांड हुआ है उस सम्बन्ध में है जिस पर जांच कमीशन बैठा हुआ है। ये प्रस्ताव व्यापक हैं; और अन्य छोटे-छोटे हैं, बाकी थोड़े से वैयक्तिक भी हैं।

एक और व्यापक कामरोको प्रस्ताव है। चीनी लोगों का जो आक्रमण हमारे देश की सरहद के ऊपर हुआ है, उसके परिणाम में जो परिस्थिति आपके प्रदेश की हुई है, उस विषय में

[श्री अध्यक्ष]

भी कामरोको प्रस्ताव है। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से क्रमशः कामरोको प्रस्ताव मैं लूंगा और घंटे दो घंटे उनके ऊपर बहस होगी यद्यपि इनमें से कई बातें ऐसी होंगी जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सरकार से न भी आता हो लेकिन विषय ऐसा है जिस पर बहस होनी चाहिये, चाहे सरकार से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आये या न आये। परिस्थिति की पूर्व सूचना होने से मैंने इस सम्बन्ध में नेता सदन से बातचीत की थी। परसों वह यहां थे लेकिन आज वह यहां नहीं हैं। उनको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना पड़ा है...

श्री राजनारायण---कहां गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---यही तो नहीं बताना है लेकिन वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिये गये हुये हैं। उन्होंने कहा था कि सदन से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैंने कहा कि ठीक है और मैंने सदन को सूचना दे दी जो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी। इन चारों विषयों के सम्बन्ध में मेरी उनसे बातचीत हुई थी और वह कहते थे कि वह समय देना चाहते हैं कि इन विषयों पर चर्चा हो जाय। इन चारों विषयों पर यानी एक तो यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में, दूसरे सीमा पर खतरे के सम्बन्ध में जो इस प्रदेश से संबंधित है, जो कि बहस सीमित होगी जिससे उसका लाभ विदेशी सत्ता को न मिले, इस दृष्टि को रखते हुये इनके लिये समय दिया जा सकता है। तीसरे गोलीकांड जो कानपुर में हुआ उस पर जो जांच कमीशन बैठाया गया है उस विषय में भी; और चौथे गन्ने के सम्बन्ध में जो आन्दोलन चल रहा है, उस सम्बन्ध में चर्चा के लिये समय दिया जा सकता है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमने साहू फैक्टरी के बारे में भी कामरोको प्रस्ताव दिया है...

श्री अध्यक्ष---उसको मैं इस दायरे में नहीं लूंगा।

श्री राजनारायण---इसको तो आप दूसरे दिन के लिये टाल रहे हैं यानी यह जो चारों व्यापक विषय के प्रस्ताव हैं इनको मुख्य मंत्री के यहां होने तक के लिये टाल रहे हैं लेकिन...

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इनके लिये हर रोज शाम को, मैं समझता हूं, हम लोग घंटे दो घंटे बैठ सकते हैं। नियम ५३ के अन्तर्गत अधिक से अधिक ढाई घंटे का समय मिल सकता है। यदि रोज शाम को बैठें और जो सब से महत्व का विषय है वह पहले ले लें और उसके बाद दूसरा ले लें, और इसी प्रकार बाकी ले लें तो चारों विषयों पर चर्चा हो सकती है क्योंकि बहुत थोड़े दिन हम बैठेंगे, उन्हीं में समय निकालना है। जो सरकारी कार्य है वह भी करना है। इसके अतिरिक्त, ये जो महत्व के विषय खड़े हो गये हैं जिनके विषय में लोग चर्चा करना चाहते हैं उन सब विषयों के ऊपर मैं नियम ५३ के अनुसार रोज एक-एक विषय ले सकता हूं। मैं यह भी बता दूं कि कामरोको प्रस्ताव का विषय जाहिरा सरकार के ऊपर लदता भी नहीं। तो कामरोको प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन हर रोज एक विषय लूंगा। एक विषय यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में है। यूनिवर्सिटी के विषय में श्री चन्द्रजीत यादव जी ने और भीखालाल जी ने प्रस्ताव दिया है। इस विषय को आज नियम ५३ के अन्तर्गत ले लें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अगर आप की इजाजत हो तो एक बात अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं पहले कह लूं, मैं आपको पहले स्कीम बता दूं। जितने कामरोको प्रस्ताव हैं इनमें जितने व्यापक विषय थे---चार मैंने बताये---तो चार रोज शाम को नियम ५३ के अन्तर्गत एक-एक विषय ले लें। मैं समझता हूं कि इन सब विषयों में जो सब से

अधिक अर्जेंसी है, वह विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में आप के दिल में होगी, क्योंकि वह चीज जारी है और बहुत से लड़के बाहर हैं। तो इसलिए उस विषय को आज मैं ले लूंगा। पांच बजे से शुरू करके, अगर आप चाहें, तो सात या साढ़े सात बजे तक हम बैठ सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कल से होता तो अच्छा था।

श्री अध्यक्ष---आज क्या बात है? क्या शिक्षा मंत्री तैयार नहीं हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

श्री अध्यक्ष---माननीय शिक्षा मंत्री, अगर यह बात सही है तो कल के लिए रख दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---कल के लिए रख दें।

श्री अध्यक्ष---तो कल रख देंगे।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि आपने विषय अभी तक चार बताये और नेता सदन की ओर से कोई कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है, यद्यपि आज उनको बता देना चाहिए कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या है।

श्री अध्यक्ष---अभी मौका नहीं आया।

श्री राजनारायण---चार दिन आप रख रहे हैं। आज २१ तारीख है। हमारी जानकारी है कि सदन इस कार्यक्रम में २४ तक चलेगा। फिर छुट्टी है २५, २६, २७ तक। उसके बाद सदन बैठेगा २८ से ३० तक। फिर पहली, दूसरी को छुट्टी है। हो सकता है कि इन चार विषयों के अतिरिक्त कल और विषय आयें। तो हमें समय नहीं मिल पा रहा है। इसको भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए।

एक और निवेदन है। जैसे हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में हैं तथा जो प्रचार कम्युनिस्ट पार्टी मुक्ति सेना को लेकर कर रही है उसके बारे में है, ऐसा ही साहू केमिकल फैक्टरी के बारे में भी है।

श्री अध्यक्ष---साहू केमिकल का आपका कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री राजनारायण---नहीं, आया है?

श्री अध्यक्ष---नहीं है। पिछले वक्त था उसके स्मरण से आपको भ्रम हो गया होगा।

श्री राजनारायण---हां, मैं यह कह रहा था कि मैंने उस कामरोको प्रस्ताव को लिखकर के दस्तखत करके अपने कार्यालय में दे दिया था। आप जरा अपने यहां दिखवा लें कि कहीं इधर-उधर रह तो नहीं गया है। यह हो सकता है कि हमारे यहां से आया हो और आपके यहां कहीं रह गया हो या यह भी हो सकता है कि हमारे यहां ही रह गया हो....

श्री अध्यक्ष---या यह हो सकता है कि समय के बाद आया हो।

श्री राजनारायण---तो उसको कल हम दे देंगे फिर तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि..

श्री अध्यक्ष---यह तो मैंने जो निर्णय दिया है वह आपका पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद ५ बज के बाद आप बैठेंगे। अगर किसी वक्त में मैं किसी अन्य विषय पर कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा तो उसका नतीजा यह होगा कि ४ बजे से कामरोको प्रस्ताव लिया जायगा ६ बजे तक और उसके बाद फिर ६ से दो, ढाई घंटे जो भी होगा, नियम ५३ के विषय पर चर्चा के लिये बैठेंगे। तो कामरोको प्रस्ताव मैंने कोई अभी स्वीकार नहीं किया है। अभी तो इनमें से छांटकर इन चार विषयों को मैंने रख लिया है, और इनमें से एक-एक करके एक-एक दिन लिया जा सकता है।

श्री राजनारायण—तो यह आप सभी के कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो हैं उनको नियम ५३ में बदल दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने आज तो किसी को मंजूर नहीं किया है। एक भी मंजूर नहीं कर रहा हूं। इनमें से एक नियम ५३ के विषय में मेरे पास आ चुका है, विश्वविद्यालयों के बारे में भीखालाल जी का और चन्द्रजीत यादव का, उसको मैं ले रहा हूं। इसकी सूचना मैंने आपको दे दी कि नियम ५३ में अगर कल आप ये जितने विषय आज मैंने स्वीकार किये हैं, उनमें से एक-एक करके ज्यादा महत्व जिसका आप समझते हैं, उसको लेते जायं तो चार रोज में ये चारों विषय आ जायेंगे। इनको मैं नियम ५३ में मंजूर कर लूंगा। इसके अलावा, अगर कामरोको प्रस्ताव कोई नये आयेंगे तो उनको मैं उनकी मेरिट्स के ऊपर देखूंगा। अगर मैं समझता हूं कि उनमें कोई स्वीकार करने लायक है और इतना अर्जेंट है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी और नियम ५३ के विषय को बाद में लिया जायगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—मैं आपके द्वारा एक निवेदन नेता सदन से करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से मिली हुई है उसी तरह से बंगाल की भी सीमा चीन से मिली हुई है। बंगाल में इस सीमा-विवाद के ऊपर दो दिन का समय मिला था। तो यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसे ढाई घंटे का समय न देकर के इसके लिए अलग दिन निश्चित कर दिया जाय जिससे कि सदन में अधिक से अधिक सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी तो ढाई घंटे मैंने दे ही दिये। यह तो अध्यक्ष की तरफ से हुआ। अब नेता सदन की तरफ से आप ज्यादा समय चाहते हैं तो उनको आ जाने दीजिए। उपनेता सदन यहां मौजूद हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वह अभी एकदम से इसके ऊपर चर्चा शायद नहीं कर सकेंगे। तो आप उनको मनाने की कोशिश करें। अगर एक दिन वह देना चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि असल में कुछ कामरोको प्रस्ताव तो ऐसे थे कि जिन पर तुरन्त ही विचार होना चाहिए था लेकिन जो कुछ भी आपने निर्णय कर दिया उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। अब जो समय नियम ५३ के अनुसार रखा गया है वह यों ही ऐसा अनइम्पार्टेंट वक्त है कि जिसमें कोई आदमी यहां बैठना नहीं चाहता और वह यों भी अनइम्पार्टेंट हो गया इस फैसले से कि ५ बजे के बाद उसको डिस्कस किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों पर ठीक से विचार हो सके और वह दूसरों के ध्यान में भी ठीक से आ सके इसके लिए आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि सदन में किसी ऐसे समय पर इन प्रस्तावों पर विचार हो सके और इतना वक्त उस पर दिया जा सके कि जिससे उन मामलों पर अच्छी तरह से रोशनी पड़ सके और सरकार भी कुछ समझ सके। इसलिये मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम इस समय देने के मामले में कुछ ऐसी कोशिश अवश्य करें।

श्री अध्यक्ष—समय के बारे में उसमें दिया हुआ है कि बाद में निश्चय कर सकते हैं, नेता सदन से बातचीत करके। नेता सदन आज मौजूद नहीं हैं। तो मैंने एक ऐसा समय रख दिया कि जिसके बारे में नेता सदन अभी इनकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं उनसे बातचीत पहले कर चुका हूं कि क्या वह शाम को समय रोजाना देंगे और उन्होंने कहा था "हां"। तो वह चीज मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं आपकी इस इच्छा को भी उनके सामने रख दूंगा कि आप एक विषय के बारे में कुछ अधिक चर्चा करना चाहते हैं और पहले समय में करना चाहते हैं तथा दूसरे काम के लिये दूसरा समय दिया जाय और यह काम पहले कर लिया जाय। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। नियमानुसार अगर नेता सदन राजी हो जायं तो पहले वक्त में भी यह लिया जा सकता है और दूसरे समय में दूसरा काम लिया जा सकता है।

श्री राजनारायण---मेरा निवेदन यह है कि हमारा हृदय बहुत भरा हुआ है। जब हृदय भरा हो तो हमारे मुंह से अगर अटपटे शब्द निकल जायं तो माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि इस प्रकार के शब्द निकल सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नियमावली में शर्तें दी हुई हैं कि इन शर्तों में कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। अब आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव को दफा ५३ के स्वरूप में परिणत कर देने का निर्णय दे रहे हैं और इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं मान रहे हैं क्योंकि नेता सदन से आपने बात कर ली है। उनके और आपके बीच की यह बात हुई है।

श्री अध्यक्ष---इस वजह से मैं नामन्जूर करता हूं, यह बात नहीं है लेकिन एक महत्व का विषय है और उस पर, मैं समझता हूं, चर्चा होनी चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि कानपुर में २० जानें गईं, यह तो सब की जानकारी में है लेकिन इसके अलावा और भी जानें गई हैं जो सब की जानकारी में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---उस पर कमीशन बैठ गया है, इसलिए मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में उस पर डिस्कशन की इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री राजनारायण---वहां पर जो गड़बड़ी हुई उसके लिये कोई कमीशन बैठाने की आवश्यकता थी या नहीं और वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति थी या नहीं, इन सब बातों की तो चर्चा होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये मैंने कहा कि, चूंकि कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं आ सकता है, महत्व का विषय होने की वजह से कोई भी गोली चलाने के बारे में चर्चा जरूर कर सकता है या कमीशन बैठाने के बारे में चर्चा कर सकता है परन्तु उसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में डिस्कशन का मौका देना जरूरी नहीं है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मेरे कमरे में आकर आप बहस कर सकते हैं। वहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस संबंध में हमें यह निवेदन करना है कि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं और साथ ही आपके सम्मान को भी रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---अगर आप मुझे कनविन्स कर देंगे तो मैं मान लूंगा।

श्री राजनारायण---आज तो हम इस सदन से एक घंटे के लिये जरूर वाक आउट करेंगे क्योंकि कानपुर का गोलीकांड जितना महत्वपूर्ण विषय है उतना दूसरा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---आप दोनों प्रस्तावों पर बहस कर सकते हैं। दो, ढाई घंटे का समय मैं दे ही चुका हूं, उस पर आप ब्योरे के साथ कह सकते हैं। इतना समय तो आपको मिल ही रहा है।

श्री राजनारायण---कामरोको प्रस्ताव सरकार के लिये एक निन्दा का प्रस्ताव होता है।

श्री अध्यक्ष---कामरोको प्रस्ताव अगर शाम को स्वीकार हो जाय तभी वह निन्दा का प्रस्ताव होता है और अगर वह अस्वीकार हो जाय तो फिर यह बात नहीं है। यह आपके लिये मुमकिन नहीं है कि आप इस हाउस में उस प्रस्ताव को स्वीकार ही करा लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो व्यवस्था दी है वह तो जांच कमीशन के बारे में नियम ६० के संबंध में है। उस नियम ६० का एक प्राविजो है--

"Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the Tribunal or Commission or Court of Enquiry".

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मेरे नाम का जो प्रस्ताव है वह इस ट्रिब्युनल की इंक्वायरी के प्रोसीजर के बारे में है और उसके सब्जेक्ट और स्टेज के बारे में है जिसके संबंध में आपको पूरा अधिकार है कि आप चाहें तो उस रूप में उस प्रस्ताव को ले सकते हैं। मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव जिस रूप में है वह इस नियम के अन्तर्गत आता है और आप उसके लिये मंजूरी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने इसको देख लिया और अपने कमरे में इसको नामंजूर कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि वह मंजूर होने लायक है तो आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें। अगर मैं समझूंगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा और दूसरे रोज उसको मंजूर कर लूंगा लेकिन वह अभी तो नामंजूर हो चुका है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जिस विषय पर आपने प्रश्न उठाया है वह एक महत्व का विषय होने के कारण, यदि आप उसे नियम ५३ में दें तो, उसके लिये मैं ढाई घंटे का समय दे सकता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उसके लिये क्या फिर नोटिस देने की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, एक नोटिस तो अवश्य दे दें क्योंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव में मैं स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता।

नियम ५२ के अन्तर्गत कानपुर में घटित रहस्यमय हत्याओं के विषय में वक्तव्य

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---कानपुर गोली कांड के संबंध में मेरा प्रस्ताव था और उसे मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है।

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ में वह नहीं आया। उसका सवाल अभी नहीं आया है। ५२ में एक तो मोती लाल जी अवस्थी का है। कानपुर में एक बहुत रहस्यमय ढंग से व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। इसको मैं ले रहा हूं और मैं समझता हूं कि इस ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना है जानकारी के लिये, कोई वक्तव्य देने के बारे में। कानपुर नगर में रहस्यमय ढंग पर मृत्युओं के बारे में जो यह है इसकी एक कापी माननीय मंत्री जी के पास भी पहुंच गयी होगी। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में अभी कोई जानकारी देने के लिये तैयार हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मेरे पास जितनी जानकारी है वह मैं अभी दे सकता हूं और इससे अधिक जानकारी निकट भविष्य में होती मुझे दिखाई नहीं देती।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है। तो इस मामले को मैं ले लेता हूं और दूसरा जो गोली वाला विषय है वह मैं कल के लिये स्थगित करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--- जो मैंने एक घंटे के लिये वाकआउट करने की बात कही थी वह चूंकि कानपुर से संबंधित एक मामला आ गया है यहां पर, इसलिये इसके बाद होगी।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है। (गृह मंत्री से) आप जारी रखें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट है और जो कुछ मेरी उस पर जानकारी है उसके आधार पर आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल सही है कि पिछले ५, ६ महीनों से, अगस्त से ही कानपुर में कुछ बड़े रहस्यमय ढंग से और रहस्यमय शस्त्रों से कुछ हत्यायें की गयी हैं और यह भी स्वीकार करता हूं कि

इस संबंध में अब तक कोई पता हमको नहीं लग पाया है कि यह कौन सा गिरोह है जो यह काम कर रहा है और न यह पता लग सका है कि किस नीयत को लेकर.....

एक सदस्य---कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं पड़ रहा है, मंत्री जी जरा माइक पर बोलें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---हां, सुनाई तो मुझे भी नहीं पड़ रहा है, मंत्री जी माइक पर ही बोलें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं यह कह रहा था कि यह बात सही है, जैसा कि अवस्थी जी ने लिखा है कि कुछ रहस्यमय ढंग से कानपुर में हत्यायें हो रही हैं। अगस्त के महीने से कुछ ऐसी वारदातें हमारे सामने आने लगी हैं। अब तक कई आदमियों की हत्यायें हो चुकी हैं। कुछ गिरोह इस काम को कर रहे हैं और उनका पता लगाने की पूरी कोशिश करने पर भी हमें उनका पता नहीं चल सका है। ये हत्यायें कुछ रहस्यमय ढंग से की जाती हैं। ये किस नीयत से की जाती हैं, इसका भी कोई अन्दाज नहीं लग पाया है। ये हत्यायें जो की गयी हैं व गरीब लोगों की ही हैं या उन लोगों की हैं जो बेचारे सड़क पर पड़े रहते हैं। यह भी अन्दाजा नहीं लग पा रहा है कि यह हत्यायें शनिवार तथा इतवार क दिन ही क्यों की जाती हैं। हमारी ओर से इस विषय में जांच पड़ताल पूरी तरह से की जा रही है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, अब तक कई हत्यायें हो चुकी हैं--एक अगस्त में हुई, फिर ८-९ को हुई, फिर १९-२० सितम्बर को हुई, और जो रिपोर्ट है उससे यह पता चलता है कि अभी १५ नवम्बर को भी हुई, इससे पहल ५ और ६ नवम्बर को भी हुई। इसमें एक मन्दिर के पास एक महिला की हत्या हुई है, एक साधू की हत्या हुई है। अभी १५ नवम्बर को जो वारदात हुई वह भी अजीब तरह की है। सी० आई० डी० इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। यह खेद की बात है कि अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। हमने २०० आदमी पी० आर० डी० के भी भेज रखे हैं। पेट्रोलिंग का भी सख्त इन्तजाम है और पुलिस विभाग के जो कुत्ते हैं उनका दल भी अपराधों का पता लगाने के लिये भेजा गया है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि अब तक सिवाय इसके कि जो आदमी बेचारे मारे गये हैं उनकी संख्या का ही पता चल पाया है, और कुछ भी पता नहीं चल सका है। यह भी पता चला है कि जो हत्यायें होती हैं वे कान के पास किसी औजार के द्वारा मारने से किसी प्रकार से होती हैं। इससे या तो आदमी की मृत्यु हो जाती है या अगर किसी प्रकार से वह बच भी जाता है तो वह उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। सरकार की ओर से पूरी कोशिश हो रही है। और भी इन्तजाम किये गये हैं जो मैं आपकी आज्ञा से, बतलाना नहीं चाहता। जो मोटे तौर से सब की दृष्टि में है उसकी चर्चा मैंने यहां कर दी है। आशा है कि शीघ्र ही हम इसका पता लगाने में सफल हो सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी जब इस रहस्यमय घटना को देखते हुए यह महसूस करते हैं कि चूंकि उनका सारा सी० आई डी० तथा उनके कुत्ते अपराधियों की तलाश करने में असफल साबित हुए हैं, इसलिये वे कोई और तरीका इसके लिये सोच रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब तक सफलता नहीं मिली, यह तो स्पष्ट है और इसके लिये हमें दुख है। यह लज्जा की बात है कि इस प्रकार के अपराध हों और हम पता न लगा सकें। उसकी चेष्टा हम कर रहे हैं। सी० आई० डी० का, कुत्तों का, पी० आर० डी० के परसोनेल का और पुलिस की पेट्रोलिंग का इन्तजाम हो गया है, जो लोगों की दृष्टि में है। और भी तरीके बरते जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, उनका जिक्र सदन में न करना

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

ही अच्छा है क्योंकि उससे शायद हमारी खोज में बाधा पहुंचे। लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जो प्रबन्ध हुआ है उससे हमें बहुत शीघ्र पता लग जायगा और अपराधी हाथ में अवश्य आवेंगे।

श्री राजनारायण--२ अगस्त को करीब ६ आदमी मारे गये थे रात में, जिसमें तीन मरे थे और तीन जिन्दा थे। इसके बाद ही वहां पर सी० आई० डी० सूबे की और उसके कुछ समय के बाद ही केन्द्र की भी आई थी। तो अब तक उन लोगों ने सरकार को कुछ खास बात बतलाई हो कि कौन से तत्व इस प्रकार की घटना से संलग्न हो सकते हैं, क्या सरकार उस पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इसमें सब से बुरी बात है कि इस प्रकार की हत्याओं के पीछे नीयत क्या है, यह समझ में नहीं आता। यदि किसी की हत्या के पीछे नीयत रुपये पैसे छीन लेने की हो या किसी दुश्मनी निकालने की बात हो तो वह बात दूसरी होती है लेकिन जिन लोगों की हत्यायें हुई हैं वे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर सो जात हैं .....

श्री अध्यक्ष--वह पूछते हैं कि कोई धार्मिक भावना तो उसके पीछे नहीं थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं यही अर्ज कर रहा था कि यह पता नहीं चलता है कि किस नीयत से हत्यायें हो रही हैं और इनके करने वालों का उससे क्या लाभ है। इसी का पता लगाने में अभी तक हमें असफलता रही है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री जी काशी के कुछ प्रमुख ज्योतिषियों से मदद लेने की कोशिश करेंगे, इस मामले का पता लगाने में.....

(हंसी--कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस के कुत्ते इस जांच के लिये छोड़े गये हैं, यह सही है कि वे कुत्ते घटनास्थल से रेलवे स्टेशन तक जाते हैं और लौट आते हैं जिससे शक होता है कि कातिल कहीं बाहर से आते हैं और फिर हत्या करके चले जाते हैं ? क्या ऐसी कोई सूचना सरकार के पास है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सारी बातें, मान्यवर, सामने हैं। बाहर से लोग आते हैं अथवा वहीं के रहने वाले हैं, किसी पागल की कार्यवाही है अथवा ऐसे किसी दल की जिसके लिये माननीय गेंदासिंह जी ने कहा है कि अनुष्ठान के सिलसिले में काम हो रहा है, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके हिसाब से काम हो रहा है और उसी पर मैं कहता हूं कि शायद हमें पता लग जाय।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अभी मंत्री जी ने बताया कि जो लोग बच भी जाते हैं उनको लास आफ मेमोरी हो जाता है। तो साधारणतः जैसा अन्य देशों में होता है इस तरह से जब लास आफ मेमोरी हो जाता है तो एलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा मेन्टल ट्रीटमेन्ट करने के बाद मेन्टल पिक्चर उसका लेकर, घटना का पता लगाने का प्रयास अस्पताल में करवाया जाता है, क्या उसका भी प्रबन्ध माननीय मंत्री जी ने करवाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब मैं इसकी जांच कर लूंगा। आपका सुझाव है, यदि ऐसा हो सकता है तो अवश्य उसका प्रयास करेंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--इस प्रकार की घटनायें केवल कानपुर से ही आयी हैं या प्रदेश की किसी और जगह से भी मालूम हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सौभाग्यवश और कहीं से तो खबर नहीं आयी है। इतना ही दुर्भाग्य काफी है जो कानपुर में हुआ है। मैं सदन को बताऊं कि कहीं-कहीं शहरों में इस विषय में चर्चा छेड़ दी गयी है और एक प्रकार से आतंक फैलाने की चेष्टा की गयी है। इसी से गालिबन यह शक होता है कि उनका कोई गैंग है या केवल यही है कि एक प्रकार का आतंक फैलाने के लिये करते हों—ये सारे प्रश्न सामने हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने स्वतः इस घटना के संबंध में काफी छानबीन की है और मुख्य मंत्री जी, जो एक ज्योतिषी भी हैं उनको भी मैंने मौखिक रूप से जब वह वाराणसी गये थे, बताया था और मैं चाहता हूं कि बहुत सूक्ष्म में इस सदन को भी बता दूं। ऐसा हमको लगता है कि कोई सी० आई० डी० के उच्चाधिकारी ही थे, जब मैं कानपुर में लगातार कई दिनों तक था, उन लोगों के सामने इस ढंग की कठिनाई आ रही है, उनका ऐसा कहना है और हमने भी माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा कि आप किसी तरीके से पता लगाइये। कोई एक आदमी अगर किसी को पिस्टल से मारे तो उससे आवाज आती है। जैसे एक हत्यारे ने गांधी जी को जब वह सभा में आ रहे थे तो वह उठकर गया और मार दिया, उससे आवाज हुई, वहां पर सादी वर्दी में पुलिस मौजूद थी लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। तो यह उनका कहना है कि हो सकता है कि किसी बहुत बड़े हत्यारे का यह जाल बिछ रहा हो क्योंकि जब आदमी कनपटी पर मारता है तो उससे कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती और जिस आदमी को वह मारता है वह आदमी भी उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि इस दृष्टिकोण से भी हम जानाकारी कराने की कोशिश करेंगे। इसके तीन ही दृष्टिकोण नहीं हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे अनुष्ठान कह रहे हैं, लेकिन, जैसा कहा गया कि कोई पागल आदमी हो, यह किसी पागल का कृत्य नहीं है क्योंकि वह जिसको मारता है उसको प्रकाश में मारता है, अंधकार में नहीं मारता है। जैसी कि, श्रीमन्, नहर वाली घटना थी उसमें तीन आदमी सोये हुए थे और उनमें आपस में दूरी बहुत कम थी। उसने तीनों को एक साथ मारा नहीं है, यह सब लोग मानते हैं। एक को मारने के बाद उसने दूसरे को और फिर तीसरे को मारा। अगर मारने में आवाज हुई होती तो इतनी कम दूरी होने के कारण दूसरे जाग गये होते। जहां इन तीनों को मारा वहां पर लाइट थी और दूसरे कोने पर और लाइट थी जहां पर कि तीन आदमी और सोये हुए थे। इन तीनों को मारने के बाद उन्होंने उनको भी मारा, उनको भी कनपटी पर ही मारा। तो यह कार्य किसी पागल का हो, ऐसा हमको नहीं लगता है। हमको लगता है कि कहीं वह किसी प्रमुख आदमी की हत्या न करना चाहता हो, अगर कहीं वह किसी के कमरे में पहुंचा और ऐसी घटना कर बैठा और निकल गया तो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि कोई आवाज तो हुई नहीं, यह कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आपने इशारा कर दिया, यह काफी है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस तरह की बातें सरकार को बतायी गई हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों को चेतावनी के रूप में ले ताकि कहीं इस ढंग से कोई घटना न हो जाय जिसकी जिम्मेवारी सरकार पर आये जैसा कि महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में बताया गया था लेकिन उपयुक्त समय पर सरकार की ओर से उचित कार्यवाही नहीं हुई थी.....

श्री अध्यक्ष—आप उन बातों को यहां पर क्यों कहते हैं ?

श्री एस०जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे शहर का मामला है इसलिये मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कह सकूंगा ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस०जी० दत्त---मैं इतना सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां कानपुर शहर में रात को दस बजे से ही घरों के दरवाजे बन्द हो जाते हैं और बहुत से जो मेहमान लोग भी आते हैं उनके लिये भी लोग डर की वजह से दरवाजे नहीं खोलते हैं। बेशक, सरकार ने कुछ प्रबन्ध किया है लेकिन मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो लोग टेरौराइज हो गये हैं उनके टैररिज्म को दूर करने के लिये सरकार क्या बन्दोबस्त करना चाहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि २०० हमारे पी० आर० डी० के जवान भेज दिये गये हैं। उनकी पोस्टिंग कानपुर शहर में हो जायगी और पट्रोलिंग के लिये बड़ा इटेंसिव इन्तजाम कर दिया गया है। पैट्रोल कार्स भी दी गई हैं जो कि आयुध शस्त्रों से लैस हैं ताकि सब स्थानों से सम्पर्क रख सकें और अगर कोई बात हो तो उसकी तुरन्त सूचना दें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो प्रबन्ध किये गये हैं उनसे लोगों में जो आतंक फैला है उसका परिमार्जन हो जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कनपटीमार घटना में कितने आदमी चपेट में आये हैं और यह घटना एक ही थाने के अन्तर्गत क्यों हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आदमियों की संख्या ६ तो पहले थी और एक महिला का और एक साधू का हुआ है ५-६ नवम्बर को और एक राधेश्याम जी का अभी हुआ १५ नवम्बर को और ३ पहले हैं। कुल संख्या करीब १२ के होती है।

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रश्न उनका था कि एक ही थाने में क्यों हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस तरफ ध्यान तो है। यह बात सही है कि पहले की घटनायें खास तरह से एक ही तरफ हुईं। एक ही थाने में क्यों हैं, इसका पता लगाने पर बता सकूंगा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ने इस बात की भी जानकारी की है कि पहली घटना जो २ अगस्त को हुई और ६ आदमी मारे गये तो क्या इसके पहले भी घटनायें हुईं जिनको चोट लगी और जब वे लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो वे नहीं लिखी गईं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके पहले की सूचना मेरे पास नहीं है। मैं इसकी जानकारी करा लूंगा कि क्या कोई रिपोर्ट थाने में पहले हुई थी।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड में काम करने के लिये ११ सितम्बर, १९५९, के स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में, यह कार्यक्रम मैंने २ सदस्यों के वहां काम करने को चुनाव के लिये, निर्धारित किया है---

नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि---२४-१२-५९ सायंकाल ५ बजे तक।

नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा---२६-१२-५९ को ३ बजे।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि---३१-१२-५९ को ५ बजे तक।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, विधान वाचनालय में ४-१-६० को १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

सोशलिस्ट पार्टी द्वारा, कानपुर गोलीकाण्ड संबंधी कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति पर, सदन त्याग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, हम उस कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कानपुर गोली-काण्ड और अन्य बातों का था उसके बारे में १ घंटे क लिय सदन का त्याग करते हैं और अब २ बज कर ३७ मिनट पर प्रवेश करेंगे।

(सोशलिस्ट पार्टी सदन त्याग कर गई।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, की संयुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---माननीय उपाध्यक्ष ने, जो क्रम-संख्या २० को उपस्थित करने वाले थे, श्री वीरसेन जी को इस प्रस्ताव को उपस्थित करने का अधिकार दिया है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, २८ अगस्त, १९५९ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति का प्रतिवेदन २७ नवम्बर, १९५९, तक उपस्थित होना चाहिये था परन्तु समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है। अतः समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवधि ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ा दी जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं प्रस्तावक महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस समय यह समिति बनाई गई थी और विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने आया था इस बात पर सभी दलों ने एक मत प्रगट किया था कि यह शीघ्र ही ऐक्ट बन जाय और उसके बाद शीघ्र चुनाव कराये जावें। आज यह आश्चर्य की बात है कि यह कहा जा रहा है कि यह समिति अपना कार्य नहीं कर सकी। मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें मुल्क में या प्रदेश में पैदा हो गईं जिनके कारण यह समिति नहीं बैठ सकी और कार्य नहीं कर सकी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था और सबकी राय से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था, इसके महत्व को देखते हुये सभी को यह आशा थी कि यह विधेयक इस बार की बैठक में जरूर ले लिया जायगा। लेकिन आज यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह समिति इतने दिनों में भी अपना कार्य नहीं कर सकी। इस प्रस्ताव में कोई इस बात का संकेत नहीं है कि किन कारणों से इस समिति ने अपना कार्य नहीं किया।

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

जबतक चुनाव नहीं होंगे ये अन्तरिम जिला परिषद् चलते रहेंगे। इसलिये इस विधेयक के प्रति उदासीनता या लापरवाही नहीं होनी चाहिये, यह उचित नहीं है। यह तरीका बहुत ही ग़लत मालूम होता है।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इस विधेयक के आने में सेलेक्ट कमेटी से इतनी देर हो रही है। मुझे इस बात की तकलीफ जरूर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

है कि माननीय वीरसेन जी जैसे आदमी ने इस प्रस्ताव को रखा है और मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। इस विधेयक के देर होने का परिणाम यह होगा कि इस वर्ष ही क्या, सन् ६२ तक जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो सकेंगे। इस समय ये जिला परिषद् कलेक्टरों के आधीन हैं, कलेक्टर उनके चेयरमैन हैं। वह कितना जिम्मेदार आदमी है इसे सरकार जानती है और हम लोग भी इस जिम्मेदारी का कुछ मजा लिया करते हैं। उन कलेक्टरों को जिले का बादशाह बनाये रखा जाय इसे सरकार ने ध्यान में रखा या नहीं यह बात भी सदन को जानने की जरूरत है। वह जिले का और प्लानिंग का सर्वेसर्वा है और जिला परिषद् का अध्यक्ष हैं यानी दुनिया का सब कुछ वह है। ३१ मार्च तो बहुत दूर है। ऐसा काफी होना चाहिये कि ४,६,८ या १० दिन में रिपोर्ट आवे और सदन उस पर विचार करे और अप्रैल के पहले चुनाव हो जावें। मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी मियाद नहीं देनी चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बात का सख्त विरोध करता हूं कि जिला परिषद् विधेयक, ३१ मार्च तक ले जाया जाय।

इसके पुराने इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो मैं देख रहा हूं कि सन् ४८ से लेकर इस समय तक इसकी १२ वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है। यदि इस स्थान पर कोई तपस्वी होता तो कुछ वरदान मांग लेता, मगर ये अन्तरिम जिला परिषदें 'अन्तरिम" जिला परिषदें ही रह गयीं। नगरमहापालिका का एक दृश्य यहां दिखाई दिया। उसमें फिर अमेंडमेंट आया, फिर मुल्तवी हुआ और होते-होते इस नौबत तक पहुंच गया कि कहा गया कि अब जून का महीना आ गया है फिर कहा गया कि विरोधी दल के नेता ने यह कहा और नेता सदन ने वह कहा है। इस तरह स टालमटोली होते होत खदेड़कर नगरमहापालिका का निर्वाचन बड़ी मुश्किल से हुआ।

हमें मालूम होता है कि इस विधेयक को भी इसी तरह से खदेड़ना होगा और जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा सन् ६२ तक या उसके बाद ही जिला परिषदों के चुनाव हो सकेंगे। गेंदासिंह जी ने कहा कि कलेक्टर के पास इतना काम रख दिया गया है कि जैसे माजून मुरक्कब बन गया है। हर मर्ज की वह दवा है। हमें नहीं मालूम है कि मंत्रियों को भी जिला परिषदों में बैठना होता है कि नहीं और उन्हें कलेक्टर साहब को "श्रीमन्" 'अध्यक्ष महोदय' और 'मान्यवर' कहना पड़ता है या नहीं, मगर हमको तो कहना पड़ता है। क्या बतलाऊं, चूंकि वे उस कुर्सी पर होते हैं जैसे अधिष्ठाता महोदय इस वक्त आप विराजमान हैं, इसलिये ऐसा कहना पड़ता है, बड़ी मजबूरी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो ३१ मार्च तक टालने की बात हो रही है यह बहुत दूर ले जाने की नीति है। हम समझते थे कि बहुत जल्द जिला परिषदें बनेंगी और इसलिये हमने अपने जिले की जनता से वादा किया है और मेरा खयाल है कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने जिले की जनता से वादा किया होगा कि बहुत जल्द अन्तरिम जिला परिषद् खत्म हो जायगी और नयी जिला परिषद् बनेगी। लेकिन अब यह कैसे हो सकेगा और ऐसी हालत में जनता हमारे बारे में क्या सोचेगी जब कि ३१ मार्च तक समिति की रिपोर्ट ही नहीं आयेगी? अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि इस हाउस में उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द लानी चाहिये और २८ मार्च तक बिल पास हो कर ऐक्ट के रूप में उसका निफाज हो जाना चाहिये, अगर ऐसा नहीं होता है तो, अधिष्ठाता महोदय, मैं कहता हूं कि हम माननीय सदस्यों पर स प्रदश की साढ़े ६ करोड़ जनता का विश्वास उठ जायगा। वह यही कहेगी कि ये तो बराबर वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि इस तरह से बराबर जिला परिषदों का चुनाव टलता जायगा और जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उठता जायगा। इसलिये, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि २८ मार्च तक यह ऐक्ट बन जाय और ऐक्ट बन कर उसका निफाज हो जाय।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, इसका विरोध मुझे भी करना है, जहां तक मेरे माननीय मित्र नागर साहब और अन्य मित्रों की यह शिकायत है कि कलेक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है जैसे मालूम होता है कि कलेक्टर साहब बहुत काफी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। असलियत यह है कि आजकल जिला परिषदें लावारिश हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वह इन अन्तरिम जिला परिषदों की तरफ तवज्जह दें। बल्कि आज हालत तो यह है कि कांग्रेस दल या और किसी दल के जो पुराने अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष के नाते आज उन्हीं को पूरी पावर कलेक्टर द्वारा डेलिगेट कर दी गयी है और नो-कानफिडेंस के द्वारा जो उनको हटा देने का डर था वह भय भी उनका दूर हो गया है। इसलिये एक तरह से वैकुअम क्रिएट हो गया है और ऐसी परिस्थिति में, मैं समझता हूं कि चुनाव को टाल कर जो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य थे उन्हीं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इससे ज्यादा हानि की ही संभावना है। इसलिये शीघ्रातिशीघ्र यह रिपोर्ट हाउस के सामने आनी चाहिये और शीघ्रातिशीघ्र जिला परिषदों का चुनाव होना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो अपने जजबात का इजहार किया है वह अपने माने में सही है। श्रीमन् देख सकते हैं कि सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जो मेम्बर्स थे उनमें से कुछ लोग तो छंट गये हैं लेकिन बहुत से लोग वहीं चले आ रहे हैं जो सन् १९४८ में छांटे गये थे क्योंकि A. Z. P. (अल्मोड़ा जिला परिषद) में पुराने ७ मेम्बर लिये गये, वे कांग्रेसी हैं और बोर्ड के ऊपर और सरकार के ऊपर हावी हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वे लोग राज्य करने वाले दल के ही लोग हैं। पहले इन बोर्डों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था, आजादी के बाद पहला ही मौका उन्हें मिला है। इसलिये मैं सरकार के ऊपर साफ चार्ज लगाता हूं कि अपनी पार्टी के जिला बोर्डों में हावी होने की वजह से ही वह चुनाव को टालती जा रही है। यह एक छोटी सी कमेटी, जो प्रवर समिति के नाम से है और जिसके जिम्मे रिपोर्ट तैयार करने का काम है, वहां भी सरकारी दल का ही बहुमत है। वे चाहें तो जल्दी से जल्दी उस बिल का संशोधन करा सकते हैं लेकिन वे नहीं कराना चाहते हैं। वे जानबूझ कर चुनाव को टालना चाहते हैं क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि इसे ज्यादा दिनों तक टालने से वे बहुमत में आ सकेंगे। लेकिन ऐसा सोचना उनका ख्वाब ही है क्योंकि आप देखेंगे, पहले तो हम जनसंघ वाले कांग्रेस की बराबरी में नहीं थे लेकिन अब नगर महापालिकाओं में उनकी बराबरी में आ गये हैं। सिर्फ बराबरी में ही नहीं बल्कि लखनऊ ऐसी चोटी की जगह पर भी आज जनसंघ का सारा बोर्ड हो गया है, ऐसा क्यों हो गया? सरकारी पार्टी ने सोचा है कि हम चुनाव टालकर जीत जायंगे। मैं सरकार को याद दिलाऊंगा कि उसने चारों तरफ से जो सहकारी खेती ग्रामीणों पर लादने की खिलवाड़ की है उसका फल यह होगा कि जो वातावरण चल रहा है उसके अनुसार आगे वह कभी भी मेजारिटी में न आ सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता--व्यतिक्रम चल रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--ठीक है, मैं अपने को विषय पर महदूद करूंगा। मैं कहूंगा कि यदि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में कोई ऐसे सदस्य हों जिनको काम करने की आदत कम हो तो वह कह सकते हैं कि हमारी जगह ऐसे लोग आ जायं कि जो जल्दी से काम कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं दस बारह दिन में एक्सट्रा वर्क करके इसको पास करा सकते हैं। इसलिये मैं उन माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि जिन को काम करने की शक्ति न हो वे दूसरों को मौका दें और इस जरूरी बिल को न रोकें। हमने देखा है कि प्रवर समिति की मीटिंग करने की कोशिश ही नहीं की गई। सत्ताधारी लोगों को अपनी पार्टी के चुनावों से ही फुरसत नहीं थी और इसकी वजह से सारे सूबे का अहित किया गया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी पार्टी की बात घर पर करें। मैं चाहता हूं कि ७ जनवरी तक इस बिल को पारित किया जाय और जिनका इस काम से जी ऊब गया है वे दूसरों को जल्दी से यह काम करने का मौका दें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---मान्यवर, प्रातःकाल जब कार्यक्रम मालूम हुआ कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह प्रस्ताव लाने वाले हैं . . . .

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---यह मंत्री जी का प्रस्ताव नहीं है, श्री उपाध्यक्ष का है ।

आचार्य दीपंकर---ठीक है उनका ही सही, परन्तु मैं आप के द्वारा शासन पार्टी से निवेदन करूंगा कि जिला परिषदों के चुनावों में लगातार किसी न किसी तरह से हर साल बहाने से टालमटोल की जाती है । सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण मार्च तक ठहरना उचित हो । अभी तक संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट नहीं आई, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके और अगले सेशन में बिल पास करा के, जल्दी चुनावों का आयोजन होना चाहिये । मेरी समझ से इन संस्थाओं की एक साल और अवधि बढ़ाना अनुचित है और सदन में इसका विरोध करके आपके द्वारा अपनी बात सरकार तक में पहुंचाना चाहता हूं ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, मेरे इस प्रस्ताव का अपोजिशन के मेम्बर्स ने विरोध किया है लेकिन उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल आसपेक्ट्स को नहीं देखा । यह एक बहुत ही अहम बिल है, जिसका प्रदेश पर एक पाजिटिव इफेक्ट होगा । इसलिये उसके तमाम आसपेक्ट्स का पूरा विचार होना चाहिये और ऐसे मामले में हमें किसी तरह की जल्दबाजी में काम न करना चाहिये । इसका ताल्लुक प्रदेश के प्लानिंग और फ्यूचर से है और संयुक्त प्रवर समिति के इसके तमाम पहलुओं पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है । इस बीच में जितना अर्सा हमें मिला उसमें हमारी बैठकें हुईं और हमने इसकी बहुत सी धाराओं पर विचार किया है, बहुत से जटिल प्रश्नों पर अभी तक समिति किन्हीं निर्णयों पर नहीं पहुंची है, उन पर विचार का समय हमें देना चाहिए । जिला मैजिस्ट्रेटों के बारे में जहां तक बात है, यह प्रश्न इससे ताल्लुक नहीं रखता लेकिन हमें सोचना चाहिये कि समिति को इतना समय अवश्य मिलना चाहिये कि वह अपनी राय विचार करने के बाद दे सके, जिससे प्रदेश का लाभ हो । माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि ५-४ दिन में यह जल्द आ जाना चाहिए, यह प्रैक्टिकली पासिबिल नहीं है । बहुत से प्रश्न ऐसे जटिल हैं जिन पर काफी गौर की जरूरत है । फरवरी में हमारा बजट सेशन शुरू होता है, जनवरी का ही समय विचार करने के लिये मिलेगा, जरूरत होगी तो बजट के दिनों में भी समिति को बैठना पड़ेगा । इसलिये ३१ मार्च तक का समय जब तक हम बजट में घिरे रहेंगे, देना उपयुक्त होगा । जहां तक सरकार के खिलाफ चार्ज का सवाल है जो विष्ट जी ने किया, मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में बिल जाने के बाद उस पर सरकार का कोई कब्जा या कंट्रोल वहां नहीं रहता है । उपाध्यक्ष जी उसके चेयरमैन हैं । जहां तक मंत्री महोदय का ताल्लुक है, मैंने कमेटी में उनका जो रुख देखा उससे मैं कह सकता हूं कि वह जल्दी ही पास करना चाहते हैं । तो विष्ट जी का यह आक्षेप ठीक नहीं है कि सरकार देर तक इसे रोके रहना चाहती है । इन शब्दों के साथ, मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्रैक्टिकल आस्पैक्ट को देखते हुए सदन इसको ३१ मार्च तक का मौका दे ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९, २८ अगस्त, १९५९, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति का प्रतिवेदन २७ नवम्बर, १९५९ तक उपस्थित होना चाहिए था, परन्तु समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है । अतः समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवधि ३१ मार्च, १९६०, तक बढ़ा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, की संयुक्त प्रवर समिति का कार्य-काल बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, १२ सितम्बर, १९५९, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति का प्रतिवेदन ११ दिसम्बर, १९५९ तक उपस्थित होना चाहिये था, परन्तु समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है। अतः समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवधि ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ा दी जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही छोटा-सा विधेयक था। इसके बारे में सरकार के पास कोई बहाना नहीं है कि यह विधेयक क्यों नहीं सेलेक्ट कमेटी से पास हो सका। बड़े ताज्जुब की बात है कि आज इतने महीनों के बाद एसेम्बली बैठ रही है जब कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने कहा था कि हम नवम्बर के आखिरी हफ्ते में या दिसम्बर के शुरू में बैठेंगे। इस सीमा आरोपण विधेयक में १५ अगस्त, १९५८, के बाद के ट्रांसफर को रद्द करने की बात कही गई थी। इसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोई आदमी बाग लगा सकता है या बाग का स्वरूप दे सकता है। तो, श्रीमन्, यह जो देर होती जा रही है इससे आज चारों तरफ लोग जबर्दस्ती बाग का नक्शा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. . .

श्री अधिष्ठाता---बिष्ट जी, फिर व्यतिक्रम हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---समय बढ़ाने से, श्रीमन्, जो जमीन जनता को मिलती अब उस पर लोग बगीचे लगवा रहे हैं. .

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---अब बगीचे लगाने से कोई असर नहीं पड़ेगा..

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, बड़े बड़े लैकूना उसमें रखे गये हैं। हमारा आज तक का अनुभव कहता है कि यह सरकार सुबह कानून बनाती है और शाम को हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है। यह बहुत छोटा-सा बिल था। जिसे टालने का कोई बहाना नहीं हो सकता और न उसके लिये इतनी लम्बी अवधि देना मुनासिब है। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी मीटिंग किन किन तारीखों में की गई, कितनी मीटिंगें हुईं और कितने घंटे चलीं? प्रस्तावक महोदय इन बातों को बतायें ताकि हम उसकी अहमियत को असेस कर सकें।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि इस प्रस्ताव का मुझे भी विरोध करना पड़ रहा है। जहां तक मेरी सूचना है, यह कमेटी तीन बार बुलाई गई और २ बार बगैर कोई काम किये स्थगित कर दी गई। एक बार कमेटी के बुलाने में हजारों रुपया खर्च होता है और फिर वह भी बगैर काम किये स्थगित कर दी जाय, इससे समय तथा जनता के रुपये का दुरुपयोग होता है। यह परम्परा अच्छी नहीं है कि चेयरमैन महोदय खड़े होकर कह दें कि समिति का समय बढ़ा दिया जाय, उनको कारण बताने चाहिये जिनकी वजह से समय चाहते हैं या समय के अन्दर समिति रिपोर्ट नहीं दे सकी।

दूसरी बात यह है कि इससे प्रदेश के लाखों गरीब लोगों को यह आशा थी कि जिनके पास अधिक जमीन है उनसे निकल कर उनको मिलेगी और पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नागपुर अधिवेशन में कहा था कि देश की सारी सरकारें इस सम्बन्ध में विधेयक इस साल के अन्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

तक पारित करके अधिनियम के रूप में ले आयेंगी ताकि जल्दी से जल्दी गरीब जनता में जमीन का वितरण कर सकें। जो लोग इस कमेटी को चलाने के लिये जिम्मेदार हैं उनके द्वारा इस तरह की बात सुन कर अचम्भा होता है। चेयरमैन महोदय बतायें कि किन कारणों से समिति दो बार बगैर काम किये स्थगित की गई?

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मैं माननीय राममूर्ति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब १५ अगस्त के बाद के ट्रांसफर को कोई मान्यता नहीं मिलेगी और १ मई के बाद के बागात बाग नहीं माने जायंगे तो जमीन कैसे छिनी जा रही है? इस प्रदेश की एग्रीकल्चर इकोनामी इस पर आधारित है। जो लोग कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा लगाते हैं, उसकी भी सूरत इस विधेयक में दिखाई गई है। लिहाजा यह विधेयक ऐसा नहीं है जो २, ४ घंटे में ही पास हो जाय। जो कहते हैं कि समय बरबाद हुआ है, मैं समझता हूं इसके गुनाहगार इधर भी हैं और उधर भी हैं। लिहाजा इस मसले पर छींटे उछालना बुद्धिमानी नहीं है। नातजुर्बेकारी में लोग छींटे उछालते हैं। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी अपने साथियों को कुछ वजेदारी बता देते तो यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, मुझे दुख है कि माननीय राममूर्ति द्वारा जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूं। विरोध मैं केवल विरोध के लिये नहीं कर रहा हूं, उसकी कुछ वजूहात हैं। जिस समय यह विधेयक इस आदरणीय सदन में लाया गया था तो उस समय हमारे माननीय मंत्री ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा था कि इस प्रदेश में यह हमारा बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मुझे यह देख कर ताज्जुब है कि इस क्रान्तिकारी कदम से जो नई परम्परा हम कायम करने जा रहे थे और प्रदेश में भूमिहीनों को भूमि दिलाने का विधेयक ला रहे थे उसमें देर की जा रही है। मैं समझता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति में सभी जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। मैं राममूर्ति जी से जानना चाहूंगा कि वह समय क्यों चाहते हैं?

मान्यवर, प्रदेश की सरकार के सामने दो तीन समस्यायें हैं। जितने रिफ्यूजीज बंगाल से आये हैं, सीलिंग के बाद उनको बसाया जायगा। ४० हजार भोटियों को बसाने का सवाल है। उनके लिये सरकार की तरफ से कहा गया है कि सीलिंग के बाद जो जमीन बचेगी वह भोटियों को दी जायगी। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पारित हो और इसका पारण करके जो हजारों एकड़ के फार्म तराई भावर में हैं उनको लेकर उनमें भूमिहीनों को बसाया जाय, भोटियों को बसाया जाय और बंगाल से आये हुए रिफ्यूजीज को बसाया जाय। इन वजूहात को देखते हुए मैं समझता हूं कि उसे शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री राममूर्ति---अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने साथी सदस्यों को यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि समिति द्वारा इस विधेयक के पास होने में जो उनको शक व शुबहा है उसमें कुछ आधार नहीं है। चार मीटिंग्स हुईं। उनमें तीन में काफी काम हुआ और एक किन्हीं वजूहात से स्थगित कर दी गयी। फिर चेयरमैन को बड़ी मुश्किल होती है और वह यह कि गवर्नमेंट पक्ष और अपोजीशन पार्टीज के दर्मियान एक ऐसा रास्ता कायम कर ले जिससे ठीक से काम चल सके, क्योंकि महज मेजारिटी की बिना पर काम कराना कुछ अच्छी बात नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह कोशिश की गयी।

एक बात और भी अर्ज करूं चूंकि इस विधेयक के जरिये बहुत से इंटेरेस्ट्स इस स्टेट में ऐसे हैं जिनके नफे व नुकसान का सवाल है, यह जरूरी था कि समिति उनकी बात सुने, किया चाहे जो कुछ जाय। यह एक अखलाकी फर्ज होता है कि जो तकलीफजदा इस विधेयक के जरिये से हुए हैं उनकी बात सुनी जाय। यह भी कुछ माननीय सदस्यों का खयाल है कि तराई फार्मों को जाकर खुद देखा जाय। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। वैसे कमेटी का काम बहुत काफी हुआ है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थोड़ा-सा काम रह गया है। मैं आशा करता हूं कि दो मीटिंग्स में करीब-करीब सब काम खत्म हो जायगा।

यह शंका करना कि बाग लगते जा रहे हैं मिथ्या शक है, क्योंकि उसके बारे में तारीख लगा दी है, उसके बाद कोई कुछ करता है तो कानूनशिकनी करता है। कानून अपनी जगह पर है। हमारा काम कानून पास करना है। कानून की अवहेलना कौन करता है, यह हमारा और आपका काम नहीं है। यह एक्जीक्यूटिव अथारिटीज का काम है कि कानूनशिकनी को रोके। मुझे आशा है कि मेरे निवेदन को यह आदरणीय सदन मंजूर करेगा।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, १२ सितम्बर, १९५९ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २५८ के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति का प्रतिवेदन ११ दिसम्बर, १९५९, तक उपस्थित होना चाहिये था। परन्तु समिति इस अवधि में अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी है। अतः समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अवधि ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्य उस तरफ से अब भी चले आ रहे हैं। यह दरवाजा खुला क्यों रखा जाता है? तीन सदस्य आये हैं।

श्री अधिष्ठाता---लाबी में से तो लोग आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज्ञा देता हूं कि दरवाजा बन्द कर दिया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में ४५,
विपक्ष में ---२८।)

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं 'नार्दर्न इंडिया' फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६०-६१ पर)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९, को पुरः स्थापित करने के लिये सदन मुझे आज्ञा दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री जी का जब एक प्रस्ताव चल रहा था तो किस नियम के अनुसार इसको लिया गया।

श्री अधिष्ठाता---वह तो खाली पुरःस्थापित करना था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह तो उचित है लेकिन जब माननीय निर्माण मंत्री जी का कार्य पूरा हो जाता तब इसको पश किया जाता तो अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता---अभी एक ही मिनट में यह हो जायगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९, को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६२-६६ पर)

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से फेरीज विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय गोविन्द सिंह जी, इसका विरोध तो होता नहीं है । जब यह कंसोडरेशन के लिये आये तो देखा जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैं यह चाहता हूं कि इसके पुरःस्थापन की इजाजत न दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता---इजाजत तो मिल गई । आपके विरोध करने से क्या होगा जब सदन ने अपनी स्वीकृति दे दी ? अब आप कैसी बात कह रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, एक चीज में अपने अधिकारों की रक्षा के लिये कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---आपके अधिकारों की रक्षा के लिये ही मैं यहां बैठा हुआ हूं और जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, लेकिन नियमों का पालन करना हमारा कर्त्तव्य है और आपका भी है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, आप नियम १७ को देखें । वह इस प्रकार है कि:---

"....The Speaker may, on a request being made in this behalf, order the publication of any Bill (together with the Statement of Objects and Reasons and memoranda regarding delegation of legislative power and the financial implications, if any, accompanying it and the previous sanction of the President or the recommendation of the Governor, if necessary), in the *Gazette*, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill, and, if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again...."

श्री अधिष्ठाता---दो तरीके होते हैं । एक तो यह कि पहले गजट में पब्लिश होकर तब हाउस में आता है और दूसरा यह कि पहले हाउस में आता है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, १५ दिन का नोटिस होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय बिष्ट जी, प्राइवेट मेम्बर वाला आप पढ़ रहे हैं । सरकार कर सकती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं इसके पुरःस्थापन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन यदि गोविन्दसिंह जी विरोध करना चाहते हैं तो वह १२५ नियम के अन्तर्गत विरोध कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---मैं निवेदन करूं । उनको विरोध करने का राइट था । उन्होंने विरोध किया ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैंने विरोध किया और बताना चाहता था, लेकिन मुझे कहने नहीं दिया गया । हमारे जो अधिकार हैं, श्रीमन्, आप देखेंगे कि उनका हनन कर आज सारा पूर्व प्रकाशित प्रोग्राम सरकार द्वारा उलट दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता---ऐसा कीजिये कि जो आपके वजूहात देने हों वे दे दीजिये ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---वजूहात यही हैं । श्रीमन्, यह देखेंगे कि यह सरकार इस लेजिस्लेचर से ऊपर ऐग्जिक्यूटिव को लाना चाहती है । हर कदम पर कोशिश की जा रही है कि लेजिस्लेचर के अधिकार खत्म कर दिये जायं । जो बिल्स अभी आये, पहले हमें कोई सूचना नहीं थी । हमें इन बिलों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है । अब आज ये इंट्रोडयूस किये गये, आज फौरन ही इसके लिए नया प्रोग्राम छाप दिया गया है । ब्रूट मैजारिटी के आधार पर सरकार हर चीज करवा लेना चाहती है । वही भावना यहां भी आ गयी है । आप देखें कि उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग का प्रतिवेदन आज ही के प्रोग्राम में ठूंस दिया गया है, जो २४ तारीख के लिए रखा गया था । बिलों की न कापियां मुहय्या की गयी हैं और न उन्हें पढ़ने का हमें मौका दिया जाता है ।

मैं इसलिए यह बातें कह रहा हूं कि आप हमारे हकों के रक्षक हैं । एक तो सरकार को इन्हें पेश करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये । दूसरे यह हमको इस तरह से बाई सरप्राइज (by surprise) लेना चाहते हैं । कांग्रेस द्वारा हमसे कहा जाता है कि हम इस सदन में शोर मचाते हैं । कई माननीय सदस्यों को मामूली बातों पर अपने हितों की रक्षा के कसूर पर यहां पर घसीटा तक गया है, लेकिन उधर के लोग जो कर रहे हैं वह जम्हूरियत के ऊपर कुठाराघात है । यही मैं याद दिला रहा हूं ।

श्री गिरधारी लाल---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९, पर विचार किया जाय ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---मैं वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय उसमें वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं आपका ध्यान नियम १३० की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा है---

"किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें ।"

मान्यवर, एक प्रस्ताव उनका मिला है, २४ तारीख को इसका नम्बर आता है । जो हमारे सामने कार्यक्रम है, मुझे ऐसा पता चला है कि कल गजट हुआ है, मैं समझता हूं कि आज भी प्रतियां बंटी नहीं हैं । माननीय मंत्री जी हमें मौका दें कि जो विधेयक लाये हैं उसमें हम भी सहयोग द सकें । कल इसको लाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मुझे उम्मीद है कि माननीय निर्माण मंत्री इससे सहमत होंगे ।

***श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)**---श्रीमन्, मुझे एक बात कहनी है । मैं आपकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में चाहता हूं । हम लोग बहुधा इस बात को देखते हैं कि जब भी अधिवेशन मिलने को होता है, अधिवेशन का क्या कार्यक्रम होगा, इसका पता हमें बिलकुल नहीं चलता है । अंधेरे में हमें रखा जाता है । इतना ही नहीं, हमारे असेम्बली विभाग को भी पता नहीं चल पाता कि सरकार कौन सा कार्यक्रम इस अधिवेशन में रखना चाहती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इस बात में इतना विलम्ब होता है कि नतीजा उसका यह होता है कि सारा कारोबार अस्त-व्यस्त हो जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि विधान सभा किस बात पर विचार करने जा रही है, क्या उसका कार्यक्रम निश्चित होने जा रहा है। हमने पिछली बार जब विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली को बनाया था तो उसमें इस बात का ध्यान रखा था कि हमारे संसद में जो नियम हैं, पार्लियामेंट में जिस तरह से काम होता है, उसी तरह से हमारे यहां भी काम हो। पार्लियामेंट के अन्दर, श्रीमन्, इस बात की परम्परा है कि कम से कम दो, डेढ़ महीने पहले से सारा कार्यक्रम भेज दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय चन्द्रजीत जी, इस समय तो प्रश्न दूसरा था। माननीय प्रताप सिंह ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था कि तीन दिन का समय इस पर नहीं मिला है, इसलिए इस पर आज विचार नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप अगर कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं। हमें एक कार्यक्रम दिया गया विधान सभा से, जिसमें विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने रखा है, उस कार्यक्रम के अनुसार २४ तारीख उस पर विचार करने के लिये थी। आज सवेरे एक दूसरा संशोधित कार्यक्रम पेश कर दिया गया। यह विधान-सभा कार्यालय से १९ दिसम्बर को ईश्यू हुआ है। कल इतवार था। सारी लाइब्रेरी वगैरह बन्द थी। यह बात हमें मालूम हो गई थी नोटिस आफिस से कि कार्यक्रम में संशोधन हो गया है। मैंने इस बात की कोशिश की कि लाइब्रेरी से मैं ऐक्ट वगैरह लेकर स्टडी कर सकूं लेकिन लाइब्रेरी बन्द थी और मैं कोई तैयारी न कर सका। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि विधान सभा का अधिवेशन शुरू होने से काफी समय पहले सदस्यों को कार्यक्रम की सूचना मिल जाय ताकि वह अच्छी तरह से तैयार हो कर आ सकें। दूसरी बात यह है कि इस तरह का संशोधन अचानक जो कर दिया गया है इसका तो मैं विरोध करता हूं और आज इस पर कतई विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें अच्छी तरह पढ़कर संशोधन वगैरह पेश करने का मौका न मिल जाय।

***श्री गिरधारी लाल**--यह ठीक है कि यह बिल पहले २४ तारीख के लिए रखा गया था लेकिन अब उसके बाद यह देखा गया कि उस दिन और ज्यादा जरूरी काम, जिसके लिए कि पूरा समय मिलना चाहिए माननीय सदस्यों को, वह रखा जाना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए बजाय २४ के इसको २१ तारीख में कर दिया और वह इसलिए कर दिया गया कि इसके अन्दर कोई ऐसी लम्बी चौड़ी बात नहीं थी। दो तीन लफ्जों की बात थी। यू० पी० और बिहार, इन दो स्टेट्स के बीच में फेरीज का जहां तक सम्बन्ध है, जो कानून उसका था उसमें एकाध जगह अड़चन थी। इसलिए उसमें एकाध लफ्ज रखकर उस अड़चन को दूर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी या शंका की बात नहीं है कि जिसमें दो या तीन दिन की जरूरत इसके लिए पड़े। इसलिए इसको रखा जा रहा है। वैसे सदस्यों को पूरा अधिकार है लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज इस बिल को लेकर समय का पूरा-पूरा सदुपयोग किया जाय तो बेहतर होगा।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन जहां तक नियम का ताल्लुक है, तीन दिन तो पूरे होते नहीं हैं। १९ तारीख को यह सर्क्युलेट हुआ है। (कुछ रुक कर) जैसा कि माननीय प्रताप सिंह जी ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया है कि इस बिल के लिए कम से कम तीन दिन का समय सदन के सदस्यों को मिलना चाहिए, आफिस से मुझे यह मालूम हुआ कि १९ तारीख की शाम को इस बिल को मेम्बरों को दिया गया और कुछ मेम्बरों को यह मिला है, कुछ को नहीं मिला है। तो ऐसी सूरत में मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि इस बिल पर आज विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग के १९५६-५७ के वार्षिक प्रतिवेदन पर विवाद का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--माननीय नारायणदत्त जी, इसके बाद जो २५ नम्बर पर आइटम है, उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग के १९५६-५७ के वार्षिक प्रतिवेदन पर जो तत्सम्बन्धी ज्ञापन सहित दिनांक ९ सितम्बर, १९५९, को सदन की मेज पर रखा गया था, दो घंटे का विवाद, इस पर अगर कोई साहब कहना चाहें तो कहें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, इसके लिए भी हम लोग कोई तैयार नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता--अब यह तो ज्यादती है आपकी ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, ज्यादती का सवाल नहीं है । ज्यादती तो गवर्नमेंट की है ।

श्री अधिष्ठाता--उसके लिए तो मैंने निर्णय दे दिया आपके पक्ष में ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, तो इसमें भी क्या है ? आखिर सरकार की कुछ तो मर्यादा होती है । श्रीमन्, साधारण व्यक्ति के भी मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं होती । फिर यह तो सरकार की बात है । हम इस रिपोर्ट को स्टडी करके नहीं आये । अगर इसको लिया जायगा तो डिबेट का स्तर गिरेगा, और फिर आप कहेंगे कि इधर-उधर विषयान्तर हो रहा है । यानी, यह एक जिम्मेदारी की बात है । कांग्रेस वाले सरकार चला रहे हैं, तो उनको गैर-जिम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिये । अब इससे ज्यादा गैर-जिम्मेदारी की बात और क्या हो सकती है ? अगर हम सबको आज केवल खानापूरी करना है और महज टाइम पास करना है, तो अलग बात रही । यदि यहां पर डिबेट के स्तर को ऊंचा रखना है, तो हम कुछ पढ़कर यहां आयें और तब इस पर बहस करें तो अच्छा है । शायद एक, दो ही माननीय सदस्य इसको पढ़कर यहां आये होंगे । २४ तारीख को कार्यक्रम के लिये यह रखा गया था । जब मैं पिछली बार यहां पर कमेटी में आया तो मैंने जानने की कोशिश की, मगर मालूम नहीं हो सका । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नवम्बर के आखिरी सप्ताह में हम लोग मिलेंगे या दिसम्बर के पहले सप्ताह में मिलेंगे । लेकिन क्या वजह हुई जिसकी वजह से नहीं मिल सके ? इस प्रकार से जनता में भी सरकार का क्या विश्वास रहेगा जब कि यहां पर विधान सभा में भी कही हुई बात उसके द्वारा पूरी नहीं होती है ?

श्री अधिष्ठाता--आप तैयार नहीं होकर आये, यह आपकी गलती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आप से संख्या २५ पर निर्धारित कार्यक्रम के विषय में निवेदन करूंगा कि पहली बात तो यह है कि मेरी यह सूचना है कि बहुत से माननीय सदस्य यह समझकर कि यह २४ तारीख को आयेगा उसको पढ़कर अच्छी तरह से नहीं आये हैं और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का यह विषय है और कार्यवश वह बाहर गये हुये हैं । तो माननीय सदस्य उनके सम क्ष अपने विचार नहीं रख सकेंगे । इस दृष्टिकोण से मेरी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को, जो लोक-सेवा आयोग के विषय में है, आज स्थगित करने की कृपा करें ।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं भी श्री नारायणदत्त तिवारी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधित कार्यक्रम दिया गया है यह बहुत से सदस्यों को मिला ही नहीं है । उनकी इच्छा थी कि इस बहस में वह भी हिस्सा लें । वह पहले कार्यक्रम के अनुसार यह जानते हैं कि यह विषय २४ तारीख को आने वाला है, इसलिये वे आज सदन में उपस्थित नहीं हैं । इस दृष्टिकोण से यह उचित होगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कि वे लोग भी इसमें भाग ले सकें । इससे सरकार यह नसीहत ले कि इस तरह से कार्यक्रम में फौरी तारीख का परिवर्तन कर देने से और मनमाने ढंग से विधान सभा को चलाने से सरकार की ही हानि होती है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये आज आप इसको स्थगित करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं भी इस अनियमितता पर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब हमें पहले एजेन्डा मिला तो उसमें यह २४ तारीख के लिये रखा गया था, लेकिन जब कल यह कार्यक्रम मिला तो उसमें संशोधन कर दिया गया । ऐसे तो अगर आप कहेंगे तो खाना पुरी करने के लिये हम बैठे रहेंगे और इन्कार नहीं कर पायेंगे किन्तु सभी सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये यह उचित होगा कि आप इसको कल के लिये स्थगित कर दें । मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---मैं इस प्रश्न को अब स्थगित करता हूं । बाद में निश्चय किया जायगा कि यह किस तारीख को लिया जायगा ।

(इसके बाद सदन २ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२१ दिसम्बर, १९५९ ।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये स्टडी ग्रुप्स

मुख्य ग्रुप	सम्बन्धित स्टडी ग्रुप
१—वर्किंग ग्रुप आन ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्यूनिकेशन	१—स्टडी ग्रुप फार ट्रान्सपोर्ट २—स्टडी ग्रुप फार कम्यूनिकेशन ३—स्टडी ग्रुप फार कन्सीडरिंग दि क्वेश्चन आफ इकोनोमी इन बिल्डिंग्स, रोड्स एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्शन । ४—स्टडी ग्रुप फार सिविल बिल्डिंग्स ।
२—सब-ग्रुप आन टूअरिज्म	१—स्टडी ग्रुप फार डेवलपमेंट आफ टूअरिस्ट ट्रैफिक इन दि स्टेट ।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

सन् १९५७–५८ में दो कुक्कुट पालकों को ५,०००.०० रुपये की दर से अनुदान दिया गया तथा कोई कर्जा नहीं दिया गया । १९५८–५९ में १२ कुक्कुट पालकों को कुल २०,०००.०० रुपये का अनुदान दिया गया तथा कोई कर्जा नहीं दिया गया ।

इसके अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में केवल २१ तथा २७ व्यक्तियों को अपने कुक्कुट गृहों को सुधारने के लिये ५० रु० प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान दिया गया ।

सन् १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में १५ तथा २४ कुक्कुट पालकों को छः साप्ताहिक कुक्कुट पालन प्रशिक्षण के लिये ३० रु० प्रति व्यक्ति की दर से छात्रवृत्ति (स्टाइपेन्ड) दिया गया ताकि वे इस प्रशिक्षण काल के व्यय को पूरा कर सकें ।

पिछले दो वर्षों में राज्य के योग्य कुक्कुट पालकों को ५० रु० प्रतिशत अनुमानित दर पर ६ इन्क्यूबेटर तथा फास्टरमदर दिये गये ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

तालिका

तहसील का नाम	क्षेत्रफल एकड़ों में			
	१९५७–५८		१९५८–५९	
	गेहूं	चना	गेहूं	चना
१—सुल्तानपुर	३६,४३१	३९,४३०	३६,२४७	४२,८८९
२—कादीपुर	१७,०२६	११,२४६	१७,४६६	१२,३४३
३—अमेठी	२२,४८७	१५,३७३	२२,७७४	१८,५३३
४—मुसाफिरखाना	३१,९८१	४३,४८५	२९,४०२	४३,५३१
जिले का योग ..	१,०७,९२५	१,०९,५३४	१,०५,८८९	१,१७,२९६

अवध पत्रिका मुद्रण

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

संशोधित सूची 'क'

आय १९५६-५७	आय १९५७-५८		व्यय १९५६-५७	व्यय १९५७-५८	
शिक्षा		शिक्षा			
१३००९-१२-६	१३,१९१·१३	१—जूनियर हाई स्कूल, बांसपार ..	१००.००		इस मद में ३० जून, १९५८ को रु० १३२३६.६६ न० पै० यूनियन के पास वितरण हेतु शेष है जो कि अगले वार्षिक अधिवेशन के निर्णय के अनुसार व्यय किया जावेगा। इस धन में स० १९५५-५६ का शेष शिक्षा कटौती का भी रु० २९०४.०१ न० प० सम्मिलित है।
		२—प्राइमरी स्कूल, अहिरौली ..	३३.००		
		३—हायर सेकेन्डरी स्कूल, महाराजगंज	२००.००		
		४—रोगटा बालिका विद्यालय, घुघली	१००.००		
		५—प्राइमरी स्कूल, बरई पट्टी ..	५०.००		
		६—प्राइमरी स्कूल, अहिरौली ..	५०.००		
		७—प्राइमरी स्कूल, पियरापान्ती ..	१००.००		
		८—जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिटौली	५००.००	१८००.००	
		९—ऐंग्लो संस्कृत हायर सेकेन्डरी स्कूल, घुघली	२२९.००	१२००.००	
		१०—जूनियर हाई स्कूल, पडरी मेंहदिया	५०.००	३००.००	
		११— ,, ,, ,, रामपुर बल्डीहा	३५०.००	३००.००	
		१२—प्राइमरी स्कूल, मेहनीपुर ..	३००.००	३००.००	
		१३— ,, ,, ,, परसौनी ..	५०.००	१००.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		१४—नारंग संस्कृत विद्यालय, घुघली ..	२००.००	३५०.००	रोड कटौती का सम्पूर्ण पया स्थानीय डेवलपमेंट कौंसिल को दे दिया गया है । कौंसिल ने इस रुपये को अपने रोड फन्ड में मिला कर सड़क निर्माण व सुधार का काम किया है। इसलिये केवल इस धन के व्यय का अलग-अलग विवरण देना सम्भव नहीं है ।
		१५—वैदिक संस्कृत विद्यालय, बांसपार	१००.००	३००.००	
		१६—डी० ए० वी० नारंग इन्टर कालेज, घुघली	—	१०००.००	
		१७—प्राइमरी स्कूल, मडार विन्दवलिया	—	२००.००	
		१८— ,, ,, सिरसिया ..	—	१००.००	
		१९—वैदिक संस्कृत पाठशाला, हरपुर ..	—	३५०.००	
		२०—प्राइमरी स्कूल, गोपाला ..	—	१००.००	
		२१—सहायता विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु	—	१६५.००	
		२२—सहायता अर्धबाहु बाबा, घुघली ..	—	७५.००	
		२३—अखबार	—	८०.७९	
		२४—स्टेशनरी यूनियन द्वारा संचालित स्कूलों के लिये	—	११५.०२	
		२५—कुर्सी तथा मेज ..		२६.००	
		२६—वेतन अध्यापक वर्ग ..	३३३६.१२	३२५८.३३	
१३००९-१२-६ या १३००९.७८	१३१९१.१३		५७४८.१२	१०१२०.१४	
रोड के लिये कटौती		रोड के लिये व्यय			
५४८१-७-९ या ५४८१.४८	५८८५.६५	नक्शा आय व्यय रोड फन्ड कटौती को० केन डेवलपमेंट यूनियन लि०, घुघली	२३३०.००	९०३७.१३	

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४९ पर)

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

ऐक्ट संख्या १७, १८७८

नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८, को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिये

विधेयक

ऐक्ट संख्या १७, १८७८

यह इष्टकर है कि नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८, को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में आगे दी हुई रीति से और संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह २२ मई, १९५०, में प्रचलित हुआ समझा जायगा।

ऐक्ट संख्या १७, १८७८ की धारा ४ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ की धारा ४ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "two States" और शब्द "the powers" के बीच शब्द "to which this Act applies" रख दिये जायं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य तथा कारण

नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८, की धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अभिप्राय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है, जिससे कि सार्वजनिक घाटों (public ferries) को घोषित करने की संयुक्त विज्ञप्तियां केवल उन्हीं राज्यों की सरकारों द्वारा जारी की जा सकें जिनमें उक्त ऐक्ट प्रवृत्त हो।

गिरधारी लाल,
मंत्री,
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५० पर)

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५९

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा ३० नवम्बर, १९५९ को प्रख्यापित किया गया था;

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९५९ ई०

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने स छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जो आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "फैक्टरियों" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरियों तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (ञा) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ञा—१) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(ञा—१) 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो किसी सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो और जो बैलों द्वारा चालित सात या अधिक कोल्हुओं की या यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो।"

(२) खण्ड (ट) में जहां भी शब्द "फैक्टरी" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं तथा कोष्ठक और शब्द "occupier of factory" निकाल दिय जायं।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) उद्योग, गन्ना तथा सहकारिता के प्रभारी मंत्री"।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) में—

(क) खण्ड (ख) में—

(१) अंक "६" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय, तथा

(२) उपखण्ड (१) में शब्द "चीनी की फैक्टरियों" के स्थान पर शब्द "चीनी (sugar) की फैक्टरियों, गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" रख दिये जायं।

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (घ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(घ) कोई व्यक्ति जो सचिव को सहायता देने के लिये संयुक्त सचिव के रूप में गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किया जाय।"

६—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) के खंड (ग) में शब्द "चीनी की फैक्टरियों" और शब्द "तथा" के बीच में कामा तथा शब्द "गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" बढ़ा दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १० में जहां भी शब्द "अतिरिक्त गन्ना कमिश्नर" आये हों उनके स्थान पर शब्द "अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना-कमिश्नर" रख दिये जायं तथा कोष्ठक और शब्द "Additional Cane Commissioner" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में :—

(१) शब्द "अध्यासी" के स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के अध्यासी" रख दिये जायं।

(२) शब्द "फैक्टरी" के स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं; और

(३) निम्नलिखित उसके नये प्रतिबन्धात्मक खंडों के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये कमीशन की भिन्न-भिन्न दरें नियत की जा सकती हैं;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनान वाली इकाई के सम्बन्ध में उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सीमित प्रयोजन के लिये उक्त कमीशन की पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती ह।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १८ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा २१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २१ में जहां भी शब्द "फैक्ट्री" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९५९ ई० का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४ ई०

१०—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश निरस्त किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियमित (enactment) हो और पुनः अधिनियमित किया गया हो।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

३० नवम्बर, १९५९ को गवर्नर ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया था जिसके उद्देश्य और कारण सदन के समक्ष उक्त अध्यादेश के साथ रक्खे गये ज्ञापन पत्र में दिये गये हैं। अब यह विधेयक, अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने तथा अधिनियम में कतिपय अन्य छोटे संशोधन, जो कि संलग्न विवरण में स्पष्ट किये गये हैं, करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधेयक के उपबन्धों में किये गये परिवर्तन स्पष्ट करने के लिये विवरण

(१) शब्द 'खंडसारी' को स्पष्ट करने के लिये उसके स्थान पर शब्द "खंडसारी शक्कर" रख दिये गये हैं।

(२) शब्द 'द्वार क्षेत्र' की परिभाषा अनावश्यक समझ कर निकाल दी गई है।

(३) वर्तमान प्रशासकीय ढांचे के समनुरूप बनाने के हेतु अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (क) को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(४) अधिनियम की धारा ५ के अधीन स्थापित की जाने वाली विकास परिषद् के लिये एक संयुक्त सचिव की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

(५) अधिनियम की धारा १० के अधीन सहायक गन्ना आयुक्त नियुक्त करने तथा उसको अधिकार प्रतिनिहित करने की व्यवस्था की गई है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४१ एल० ए०—१९६०—८४५।